



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27122025-268852
CG-DL-E-27122025-268852

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 825]
No. 825]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 24, 2025/पौष 3, 1947

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 24, 2025/PAUSAH 3, 1947

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2025

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन)
(संशोधन) विनियम, 2025

फा. सं. पीएफआरडीए-16/07/0001/2025-सुप-सीजी.—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उपधारा (1) के साथ
पठित उपधारा (2) के खंड (च) और (ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास
प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन) विनियम, 2025 में संशोधन करने के लिए
निम्नलिखित विनियम बनाए जाते हैं, नामतः—

- इन विनियमों को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना
का संचालन) (संशोधन) विनियम, 2025 कहा जाएगा।
- ये विनियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

3. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन) विनियम, 2025 में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं :

I. अध्याय I के अंतर्गत विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (झ) को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा —

(झ) “विधिक तौर पर विवाहित पति या पत्नी” अर्थात् अभिदाता के पति या पत्नी जिनका नाम नौकरी की समाप्ति की तिथि पर सेवा अभिलेख (सर्विस रिकॉर्ड) में दर्ज हो;

II. अध्याय I के अंतर्गत विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ट) को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा —

(ट) “अर्हक सेवा” अर्थात् यूपीएस अभिदाता के सेवाओं की वह अवधि, जो लागू सर्विस नियमों के अनुसार कार्यालय प्रमुख द्वारा तय की जाती है;

III. अध्याय I के अंतर्गत नियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ठ) के बाद एक नया खंड (ठक) इस प्रकार अन्तःस्थापित किया जाएगा—

(ठक) “स्विच फैसिलिटी” अर्थात् यूपीएस अभिदाता को विनियम 3क के अंतर्गत उल्लिखित रीति से यूपीएस से एनपीएस में जाने के लिए दिया गया वन-टाइम विकल्प।

IV. अध्याय I के अंतर्गत विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ण) के बाद निम्नलिखित नया खंड (णक) इस प्रकार अन्तःस्थापित किया जाएगा —

(णक) “यूपीएस नियम” अर्थात् सेंट्रल सिविल सर्विसेज़ (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना का लागूकरण) नियम, 2025 या यूपीएस अभिदाताओं के लिए संबंधित एम्प्लॉयर(नियोक्ता) द्वारा तय किए गए ऐसे लागू सेवा नियम।

V. अध्याय II के अंतर्गत विनियम 3 का उप-विनियम (3) हटा दिया जाएगा।

VI. अध्याय II के अंतर्गत विनियम 3 के बाद, नया विनियम 3क इस प्रकार अन्तःस्थापित किया जाएगा —

3क. वन टाइम स्विच फैसिलिटी – (1) जिस अभिदाता ने एनपीएस के अंतर्गत यूपीएस का विकल्प चुना है, उसे अभिदाता की सेवा के दौरान किसी भी समय राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में वापस जाने के लिए वन-टाइम स्विच फैसिलिटी चयन करने की अनुमति होगी, लेकिन निम्नलिखित के पहले:

(i) अधिवर्षिता की तिथि से बारह महीने पहले

(ii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तय तिथि से तीन महीने पहले

(iii) 56(ज) के अंतर्गत इस्तीफे या अनिवार्य सेवानिवृत्ति, जो शास्ति नहीं है, के समय, जैसा भी मामला हो

बशर्ते कि सेवा से हटाने या निकालने या सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में शास्ति के तौर पर या जहाँ अभिदाता के खिलाफ विभागीय या न्यायिक कार्यवाही लंबित हैं या विचाराधीन है, वहाँ स्विच फैसिलिटी लागू नहीं होगी।

इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि अगर अभिदाता को ऐसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाही से बरी कर दिया जाता है, तो अभिदाता बरी होने की तिथि से तीन महीने के अंदर स्विच फैसिलिटी का चयन कर सकता है।

(2) अगर कर्मचारी ऊपर दिए गए उप-विनियम (1) के अनुसार स्विच सुविधा का फ़ायदा उठाता है -

(i) कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत उपलब्ध 14% की दर से केंद्र सरकार के अंशदान के लिए योग्य होगा। जिस समय के दौरान कर्मचारी एकीकृत पेंशन योजना (स्विच सुविधा लागू होने से पहले) के अंतर्गत था, उस समय के रिटर्न के साथ 4% का अंतर अंशदान, प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किए गए यूपीएस के अंतर्गत डिफॉल्ट

इन्वेस्टमेंट पैटर्न पर गणना किया जाएगा, और पूल कॉर्पस से स्विच के समय कर्मचारी के एनपीएस टियर 1 अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा।

(ii) स्विच सुविधा लागू होने के बाद, केंद्र सरकार का भविष्य का अंशदान, सीसीएस (एनपीएस) नियम, 2021 के प्रावधान के अनुसार, जिस महीने में स्विच किया गया है, उस महीने से कर्मचारी के एनपीएस अकाउंट में 14% की दर से क्रेडिट किया जाएगा।

(iii) ऐसे कर्मचारियों के संबंध में पीएफआरडीए (एनपीएस के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के प्रावधान लागू होंगे। ऐसे कर्मचारी एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत मिलने वाले सुनिश्चित भुगतान और दूसरे लाभों के लिए अर्ह नहीं होंगे।

VII. अध्याय III के अंतर्गत विनियम 4 के उप-विनियम (1) के खंड (क) को इस रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:

(क) 1 अप्रैल 2025 को सेवा में कोई केंद्र सरकार कर्मचारी, जो एनपीएस में अभिदाता है, उसे इन विनियम के अनुसार एनपीएस के अंतर्गत यूपीएस विकल्प में पंजीकरण करने के लिए अनुसूची I के फॉर्म A2 में संबंधित आहरण और संवितरण अधिकारी (DDO) को एक आवेदन जमा करना होगा, साथ ही सेवा के दौरान अभिदाता की मृत्यु, अक्षम होने या अशक्त होने पर लाभ पाने के लिए विकल्प फॉर्म भी जमा करने होंगे, जैसा बताया गया है;

VIII. अध्याय III के अंतर्गत विनियम 4 के उप-विनियम (1) के खंड (ख) को इस रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:

(ख) अगर कोई नवनियुक्त कर्मचारी दिनांक 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद केंद्र सरकार सर्विसेज में शामिल होता है, तो एनपीएस के अंतर्गत पंजीकरण की मौजूदा प्रक्रिया जारी रहेगी। अगर ऐसा नवनियुक्त कर्मचारी एनपीएस के अंतर्गत यूपीएस विकल्प चुनता है, तो वह व्यक्ति इन विनियमों के अनुसार एनपीएस के अंतर्गत यूपीएस विकल्प में पंजीकरण करने के लिए अनुसूची I के फॉर्म A1 में संबंधित DDO को एक आवेदन जमा करेगा, साथ ही सेवा के दौरान अभिदाता की मृत्यु, अक्षम होने या अशक्त होने पर लाभ पाने के लिए विकल्प फॉर्म भी देगा, जैसा कि बताया गया है;

IX. अध्याय III के अंतर्गत विनियम 5 के उप-विनियम (3) को इस रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:

(3) विनियम 4 के उप-विनियम (1) के खंड (क) के अंतर्गत आने वाले यूपीएस अभिदाता के मामले में, यूपीएस चुनने पर और संबंधित PAO से सही रूप में अधिकृत करने के बाद, ऐसे अभिदाता के एनपीएस टियर 1 अकाउंट से केंद्र सरकार के अंतर्गत अर्हक सेवा के समय के लिए जमा या संचित किए गए फंड (ज़रूरी कर्मचारी अंशदान और सरकारी अंशदान और उस पर रिटर्न दोनों) को प्राधिकरण द्वारा तय किए गए रीति से और समयसीमा के अंदर यूपीएस से टैग किए गए प्रान (पीआरएएन) में अंतरण किया जाएगा। ऐसे अंतरण के बाद शेष फंड ऑल सिटीजन मॉडल के अंतर्गत एनपीएस टियर 1 से टैग किए गए उसी प्रान (पीआरएएन) का हिस्सा बने रहेंगे।

X. अध्याय IV के अंतर्गत विनियम 6 के परंतुक (2) और परंतुक (3) को हटा दिया जाएगा।

XI. अध्याय V के अंतर्गत विनियम 12 का उप-विनियम (2) इस रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:

(2) बेंचमार्क कॉर्पस वैल्यू, डिफॉल्ट पैटर्न की नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) और बेंचमार्क कॉर्पस में संबंधित यूनिट्स पर आधारित होगी। दिनांक 01 अप्रैल 2025 से अवधि के लिए, किसी भी अवधि के लिए छूटे हुए अंशदान(नों) के संबंध में, शुद्ध आस्ति मूल्य उस महीने के अंतिम कार्य दिवस पर आधारित होगा, जिसमें अंशदान प्राप्त किया जाना है;

XII. अध्याय V के अंतर्गत विनियम 12 के उप-विनियम (3) को हटा दिया जाएगा।

XIII. अध्याय V के अधीन विनियम 12 के उप-विनियम (4) के खंड (iii) के उप-खंड (ख) को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा :

(ब) किसी भी महीने में किसी भी मिसिंग (लुप्त) अंशदान की स्थिति में, वैल्यू पिछले पूरे महीने के मासिक अंशदान पर लागू महीने के आखिरी कार्यादिवस पर डिफ़ॉल्ट पैटर्न के एनएवी पर आधारित होगी।

XIV. अध्याय VI के अंतर्गत विनियम 13 के उप-विनियम (1) के खंड (ब) को इस रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:

(ब) अगर केंद्र सरकार किसी कर्मचारी को मौलिक नियम 56 के प्रावधान के अंतर्गत या विशेष स्वैच्छक सेवानिवृत्ति स्कीम के अंतर्गत, जैसा भी मामला हो, यूपीएस नियम के अनुसार सेवानिवृत्त करती है।

XV. अध्याय VI के अंतर्गत विनियम 13 के उप-विनियम (1) के खंड (ग) को इस रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:

(ग) अगर पञ्चीस साल की त्यूनतम अर्हक सेवा अवधि के बाद या यूपीएस नियम में उल्लिखित रीति से स्वैच्छक सेवानिवृत्ति होता है, तो उस तिथि से जब ऐसा कर्मचारी अधिवर्षित होता, अगर सेवा अवधि अधिवर्षिता तक जारी रहती।

XVI. अध्याय VI के अंतर्गत विनियम 13 का उप-विनियम (2) इस रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:

(2) एनपीएस के अंतर्गत यूपीएस विकल्प में किसी कर्मचारी के पंजीकरण के बावजूद, ऐसा विकल्प उस यूपीएस अभिदाता के मामले में लागू नहीं होगा, जिसे सेवा से हटा दिया गया है या जिसने अपनी सेवा से त्यागपत्र दे दिया है, ऐसे मामलों में ऐसे अभिदाता को वैयक्तिक कॉर्पस एकमुश्त दिया जाएगा, जब तक कि यूपीएस नियमों के अंतर्गत कुछ और निर्देश न दिया गया हो।

XVII. अध्याय VI के अंतर्गत विनियम 13 के उप-विनियम (2) के बाद यह उप-विनियम (3) अंतःस्थापित किया जाएगा:

(3) शास्ति के तौर पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति के समय किसी भी लंबित विभागीय या न्यायिक कार्यवाही के मामले में, अभिदाता को यूपीएस नियमों के अनुसार लाभ दिए जाएंगे।

बशर्ते कि, अगर ऐसे अभिदाता को विभागीय या न्यायिक कार्यवाही से बरी कर दिया जाता है, तो अभिदाता को यूपीएस नियमों के अनुसार लाभ दिए जाएंगे।

XVIII. अध्याय VI के अंतर्गत विनियम 13 के उप-विनियम (2) के बाद दी गई स्पष्टीकरण हटा दिया जाएगा।

XIX. अध्याय VI के अंतर्गत विनियम 13 के बाद, नए विनियम 13क और 13ख इस तरह अन्तःस्थापित किए जाएंगे:

“13क. ऐसे यूपीएस अभिदाता के लिए मिलने वाले लाभ, जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो गई है या जिन्हें अक्षम या अशक्त होने की वजह से सेवा से निकाल दिया गया है।

(1) अगर केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी यूपीएस चुनता है, अगर लागू यूपीएस नियमों के अंतर्गत दिया गया है, तो वह यूपीएस के अंतर्गत या सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 या सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के अंतर्गत लाभ लेने का विकल्प चुनने के लिए अर्ह होगा, अगर ऐसे कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है या उन्हें अक्षम या अशक्त होने की वजह से निकाल दिया जाता है, तो यह यूपीएस नियमों के अनुसार और उनके अंतर्गत दिए गए नियम के अनुसार होगा।

(2) अगर केंद्र सरकार का कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति से पहले लागू यूपीएस नियमों के अंतर्गत उपलब्ध हो, तो अपने बदले हुए विकल्प के बारे में कार्यालय प्रमुख को बताते हुए नया विकल्प देकर अपने विकल्प को कई बार बदल सकता है।

(3) केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी जिसे अक्षम या अगर लागू यूपीएस नियमों के अंतर्गत अशक्त दी गई है, तो ऐसे डिस्चार्ज के समय नया विकल्प देने का मौका दिया जाएगा। जहां ऐसा केंद्र सरकार कर्मचारी नया विकल्प नहीं चुनता है या डिस्चार्ज के समय नया विकल्प चुनने की स्थिति में नहीं है, तो केंद्र सरकार कर्मचारी द्वारा पहले से चुना गया विकल्प लागू हो जाएगा।

(4) सेवा के दौरान केंद्र सरकार कर्मचारी की मृत्यु के मामले में, अगर लागू यूपीएस नियमों के अंतर्गत ऐसा दिया गया है, तो मृतक केंद्र सरकार कर्मचारी द्वारा अपनी मृत्यु से पहले चुना गया आखिरी विकल्प आखिरी माना जाएगा और परिवार को विकल्प बदलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(5) उन सभी मामलों में जहां केंद्र सरकार कर्मचारी द्वारा ऐसा कोई विकल्प नहीं चुना गया था, अगर लागू यूपीएस नियमों के अंतर्गत ऐसा विकल्प मौजूद है, सिवाय:

- i. जहां केंद्र सरकार कर्मचारी की मृत्यु पंद्रह साल से कम सेवा के बाद हो जाती है;
- ii. जहां केंद्र सरकार कर्मचारी को अक्षम या अशक्त होने के कारण पंद्रह साल से कम सेवा के बाद सरकारी सेवा से निकाल दिया जाता है, और वह सेवा से डिस्चार्ज होने के समय ऐसा विकल्प चुनने की स्थिति में भी नहीं है;

या केंद्र सरकार कर्मचारी ने खास तौर पर यूपीएस का विकल्प चुना है, न कि सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 या CSS (एक्स्ट्राओर्डिनरी पेंशन) नियम, 2023 के अनुसार लाभ के लिए, केंद्र सरकार कर्मचारी के सेवा से डिस्चार्ज होने पर और केंद्र सरकार कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार का क्लेम इस तरह होगा:

(क) उप-विनियम (5) के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार कर्मचारी की मृत्यु के मामले में, वैयक्तिक कॉर्पस का भुगतान एकमुश्त या अर्थाँरिटी द्वारा समय-समय पर दिए गए विकल्प में से किसी दूसरे रीति से, मृत्यु के समय विधिक तौर पर विवाहित जीवनसाथी को किया जाएगा या अगर विधिक तौर पर विवाहित जीवनसाथी नहीं है, तो नामिती या विधिक वारिस को, संबंधित राज्य की सक्षम अर्थाँरिटी द्वारा जारी विधिक वारिस सर्टिफिकेट या सक्षम अधिकार क्षेत्र वाली कोर्ट द्वारा जारी सक्सेशन सर्टिफिकेट के आधार पर, जैसा भी मामला हो, किया जाएगा।

बशर्ते कि, अगर केंद्र सरकार कर्मचारी की 20 साल की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे कर्मचारी के विधिक तौर पर विवाहित जीवनसाथी के पास ऊपर दिए गए लाभ या यूपीएस के अंतर्गत तुरंत मिलने वाले नीचे दिए गए लाभ लेने का विकल्प होगा—

- (i) एकमुश्त भुगतान, जैसा कि ऐसे अभिदाता को देना होता अगर वह अभिदाता मृत्यु की तिथि को नौकरी से सेवानिवृत्त हो जाता, इन विनियम के अनुसार गणना किया जाएगा।
- (ii) ऐसे अभिदाता के वैयक्तिक यूपीएस कॉर्पस का 60% तक अंतिम आहरण।
- (iii) ऐसे अभिदाता को मिलने वाले भुगतान का 60% फैमिली भुगतान, अगर वह अभिदाता मृत्यु की तिथि को नौकरी से सेवानिवृत्त हो जाता, इन विनियम के अनुसार गणना किया जाएगा।

(ख) अगर केंद्र सरकार के कर्मचारी को अक्षम या अशक्त होने के आधार पर नौकरी से निकाल दिया जाता है, जो उप-विनियम (5) के अंतर्गत आता है, तो वैयक्तिक कॉर्पस एकमुश्त या किसी और रीति से अर्थाँरिटी द्वारा समय-समय पर दिए गए विकल्प में से अभिदाता को दिया जाएगा या ऐसे लाभ पाने से पहले उसकी मृत्यु हो जाने पर, मृत्यु के समय विधिक तौर पर विवाहित जीवनसाथी को या अगर विधिक तौर पर विवाहित जीवनसाथी नहीं है, तो नामिती या विधिक वारिस को संबंधित राज्य की सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विधिक वारिस सर्टिफिकेट या जारी किए गए सक्सेशन सर्टिफिकेट के आधार पर दिया जाएगा।

(6) ऐसे मामलों में जहां मृतक अभिदाता द्वारा चुना गया विकल्प या सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 या सीसीएस (एक्स्ट्राओर्डिनरी पेंशन) नियम, 2023 के अंतर्गत लाभ के लिए डिफॉल्ट विकल्प, सीसीएस (पेंशन नियम), 2021 या सीसीएस (एक्स्ट्राओर्डिनरी पेंशन) नियम, 2023 के अंतर्गत फैमिली पेंशन के लिए परिवार के किसी योग्य सदस्य के उपलब्ध न होने के कारण अमान्य हो जाता है, तो ऐसा विकल्प अक्षम माना जाएगा और वैयक्तिक कॉर्पस में पड़ी राशि विधिक प्राधिकारी को एकमुश्त भुगतान कर दी जाएगी। मृत्यु के समय पूरी तरह से विवाहित जीवनसाथी या अगर विधिक रूप से विवाहित जीवनसाथी मौजूद नहीं है, तो संबंधित राज्य के सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी विधिक वारिस सर्टिफिकेट या सक्षम अधिकार क्षेत्र वाले कोर्ट द्वारा जारी सक्सेशन सर्टिफिकेट के आधार पर नामिती या विधिक वारिस को, जैसा भी मामला हो।

(7) अगर केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है या अक्षम या अशक्त होने के कारण सेवा से निकाल दिया जाता है, तो यूपीएस नियम के अनुसार, सीसीएस (पेंशन नियम), 2021 या सीसीएस (एक्स्ट्राओर्डिनरी पेंशन) नियम, 2023 के अंतर्गत लाभ मिलते हैं; तो वैयक्तिक कॉर्पस में सरकारी अंशदान और उस पर रिटर्न सरकारी अकाउंट में अंतरण कर दिया जाएगा। वैयक्तिक कॉर्पस में बच्ची हुई राशि अभिदाता या नामिती या विधिक वारिस को संबंधित राज्य के सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी विधिक वारिस सर्टिफिकेट या सक्षम अधिकार क्षेत्र वाले कोर्ट द्वारा जारी सक्सेशन सर्टिफिकेट के आधार पर, जैसा भी मामला हो, एकमुश्त दी जाएगी।

13ख नामितीकरण. – इन विनियमों के उद्देश्य के लिए, नामितीकरण पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण), 2015 के विनियम 32 और उसमें हुए संशोधनों के अनुसार होंगे।

XX. अध्याय VI के अंतर्गत विनियम 14 का उप-विनियम (1) इस रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:

(1) यूपीएस अभिदाता, इन विनियमों के अनुसार, कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रमाणित हर छह महीने की पूरी की गई अर्हक सेवा के लिए, आखिरी मूल वेतन (अगर लागू हो तो नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिलाकर) और उस पर महंगाई भत्ते के बराबर एकमुश्त भुगतान के हकदार होंगे।

XXI. अध्याय VI के अंतर्गत विनियम 14 के उप-विनियम (3) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

(3) यह एकमुश्त भुगतान यूपीएस अभिदाता को देय सुनिश्चित भुगतान के अतिरिक्त होगा और सुनिश्चित भुगतान की मात्रा को प्रभावित नहीं करेगा और सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या मौलिक नियम 56 के अंतर्गत सेवानिवृत्ति (या विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत या त्यागपत्र पर या यूपीएस नियमों के अनुसार एजोर्झन (अवशोषण) पर, जैसा भी लागू हो) पर देय होगा।

XXII. अध्याय VI के अंतर्गत विनियमन 15 के उप-विनियम (1) के खंड (i) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

(i) **सुनिश्चित भुगतान :** सुनिश्चित भुगतान सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या मौलिक नियम 56 के अंतर्गत सेवानिवृत्ति या विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत या त्यागपत्र पर या यूपीएस नियमों के अनुसार एजोर्झन (अवशोषण) पर, जैसा भी लागू हो, की तिथि से ठीक पहले पिछले बारह महीनों के मौलिक वेतन (कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रमाणित) के औसत के पचास प्रतिशत पर देय होगा, न्यूनतम पञ्चीस वर्ष पूरे होने के अधीन यूपीएस अभिदाता द्वारा अर्हक सेवा की संख्या, विनियम 13 के अनुसार गणना की जाती है। सुनिश्चित भुगतान की गणना करने का फ्रॉमूला इस तरह है:

$$\text{सुनिश्चित भुगतान (क)} = (P \text{ का } \frac{1}{2}) \times (Q/300)$$

जहां:

P = पिछले बारह महीनों की मौलिक वेतन का औसत, जैसा कि कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रमाणित किया गया है, अधिवर्षिता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या मौलिक नियम 56 के अंतर्गत सेवानिवृत्ति या विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अंतर्गत या यूपीएस नियम के अनुसार त्यागपत्र या एजोर्झन (अवशोषण) पर, जैसा भी लागू हो

Q = कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रमाणित अर्हक सेवा के महीने

(बशर्ते कि जहां Q है -

120 से कम, यूपीएस लागू नहीं होगा

300 से ज्यादा, तो Q को 300 माना जाएगा)

XXIII. अध्याय VI के अंतर्गत विनियम 15 के उप-विनियम (1) के खंड (iv) का पैरा (क) इस रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:

(क) वैयक्तिक कॉर्पस, तिथि को बेंचमार्क कॉर्पस से कम है अधिवर्षिता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या मौलिक नियम 56 के अंतर्गत सेवानिवृत्ति या विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अंतर्गत या त्यागपत्र पर या यूपीएस नियम के अनुसार एब्जॉर्धन (अवशोषण) पर, जैसा भी लागू हो;

XXIV. अध्याय VI के अंतर्गत विनियम 15 का उप-विनियम (2) इस रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:

(2) अंतिम आहरण प्रतिशत: (i) यूपीएस अभिदाता या विधिक रूप से विवाहित पति या पत्नी, जैसा भी मामला हो, के पास भी साठ परसेंट से ज्यादा राशि निकालने का विकल्प होगा, जो अधिवर्षिता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या मौलिक नियम 56 के अंतर्गत सेवानिवृत्ति या विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अंतर्गत या त्यागपत्र पर या यूपीएस नियम के अनुसार एब्जॉर्धन (अवशोषण) पर, जैसा भी लागू हो, ऐसे यूपीएस अभिदाता को मिलने वाले सुनिश्चित भुगतान में उसी अनुपात में कमी के अधीन होगा।

बशर्ते कि अगर अधिवर्षिता की तिथि पर वैयक्तिक कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से ज्यादा है या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या मौलिक नियम 56 के अंतर्गत सेवानिवृत्ति या विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अंतर्गत या त्यागपत्र पर या यूपीएस नियम के अनुसार एब्जॉर्धन (अवशोषण) पर, जैसा भी लागू हो, अंतिम आहरण राशि की बेंचमार्क कॉर्पस पर गणना किया जाएगा और वैयक्तिक कॉर्पस में बची हुई राशि यूपीएस अभिदाता के तय बैंक अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी।

(ii) ऐसा अंतिम आहरण अधिवर्षिता की तिथि पर या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या मौलिक नियम 56 के अंतर्गत सेवानिवृत्ति या विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अंतर्गत या त्यागपत्र पर या यूपीएस नियम के अनुसार एब्जॉर्धन (अवशोषण) पर, जैसा भी लागू हो, मान्य होगा।

XXV. अध्याय VI के अंतर्गत विनियम 16 को इस रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:

16. फैमिली भुगतान – (1) किसी यूपीएस अभिदाता की मृत्यु पर, जो अधिवर्षिता की तय तिथि पर स्वीकार्य भुगतान पा रहा था या पाने के योग्य था, जैसा भी मामला हो, ऐसे मृतक अभिदाता के विधिक रूप से विवाहित जीवनसाथी को आजीवन, फैमिली पे मिलेगा, जो स्वीकार्य भुगतान की राशि का साठ प्रतिशत होगा, जो अभिदाता द्वारा निकाला जाएगा या देय होगा। अभिदाता, ऐसे अभिदाता की मृत्यु की तिथि से।

(2) एनपीएस के अंतर्गत केंद्र सरकार के किसी मृत कर्मचारी के मामले में, जो 31 मार्च 2025 को या उससे पहले अधिवर्षित या सेवानिवृत्त हो गया है, और यूपीएस के अंतर्गत लाभ पाने के योग्य था, विधिक रूप से विवाहित पति या पत्नी, क्लेम जमा करने और उसकी अनुमति मिलने पर, ऐसे यूपीएस अभिदाता को मिलने वाले स्वीकार्य भुगतान का 60 प्रतिशत और रिप्रेजेटेटिव एन्युइटी (वार्षिकी) राशि का 60 प्रतिशत, मृत्यु की तिथि के बाद फैमिली भुगतान के तौर पर मिलेगा, इसके अलावा नीचे दिए गए लाभ भी मिलेंगे जो मौलिक नियम 56 के अंतर्गत अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति की तिथि पर या विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अंतर्गत या यूपीएस नियम के अनुसार त्यागपत्र या एब्जॉर्धन (अवशोषण) पर, जो भी लागू हो, मृत्यु की तिथि तक मृतक कर्मचारी को मिल जाएंगे और विधिक रूप से विवाहित पति या पत्नी को मिलेंगे:

- (i) ऐसे मृत कर्मचारी को मिलने वाला एकमुश्त भुगतान;
- (ii) ऐसे मृत कर्मचारी को अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद, मृत्यु की तिथि तक हर महीने मिलने वाली टाँप-अप राशि;
- (iii) लागू महंगाई राहत; और

(iv) पिछले समय के लिए ऊपर दिए गए लाभों के शेष पर लागू पब्लिक प्रोविडेंट फंड रेट के अनुसार सिंपल इंटरेस्ट (साधारण ब्याज), जो व्याज अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति के अगले महीने से लेकर क्लेम फॉर्म जमा करने से पहले के महीने तक देना होगा।

बशर्ते कि, यूपीएस विकल्प फॉर्म तय समय के बाद जमा करने पर, ऐसी देरी के समय के लिए कोई ब्याज नहीं देना होगा।

XXVI. अध्याय VII के अंतर्गत विनियम 18 का उप-विनियम (5) इस रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:

(5) जिस अभिदाता ने आंशिक आहरण किया है, उसके पास विनियम 15 के खंड (iv) के पहले परंतुक के अनुसार, अगर कोई कमी है, तो उसकी वैल्यू को प्रतिपूर्ति का विकल्प होगा।

XXVII. अध्याय VIII के अंतर्गत विनियम 19 का उप-विनियम (3) इस रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:

(3) यूपीएस अभिदाता, अधिवर्षिता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या मौलिक नियम 56 के अंतर्गत सेवानिवृत्ति या विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अंतर्गत या यूपीएस नियम के अनुसार त्यागपत्र या एब्जॉर्झन (अवशोषण) पर, जैसा भी लागू हो, वैयक्तिक कॉर्पस में यूनिट्स की वैल्यू को पूल कॉर्पस में अंतरण करने की अनुमति देगा, जो बेंचमार्क कॉर्पस की वैल्यू से ज्यादा नहीं होगी। अगर अंतरण के लिए अनुमत वैयक्तिक कॉर्पस की वैल्यू बेंचमार्क कॉर्पस की वैल्यू से कम है, तो सुनिश्चित भुगतान उसी अनुसार कम किया जाएगा, जब तक कि कमी पूरी न हो जाए।

XXVIII. अध्याय VIII के अंतर्गत विनियम 22 का उप-विनियम (5) इस रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:

(5) ऐसे कर्मचारी के मामले में जो 31 मार्च 2025 को या उससे पहले अधिवर्षित या सेवानिवृत्त हो गया है, और जो एनपीएस के अंतर्गत एकमुश्त निकासी और/या बेंचमार्क कॉर्पस की तुलना में वैयक्तिक कॉर्पस में कमी (अगर कोई है) के कारण बिना किसी प्रोपोर्शनल(आनुपातिक) कटौती के मासिक टॉप-अप का फायदा उठाना चाहता है, तो ऐसे अभिदाता के पास क्लेम फॉर्म जमा करने से पहले इस तरह की कमी की प्रतिपूर्ति का विकल्प होगा:

(क) एनपीएस के अंतर्गत एकमुश्त निकासी के कारण होने वाली कमी के मामले में, पूरी की जाने वाली राशि एकमुश्त निकासी के प्रतिशत के बराबर होगी, जो वैयक्तिक कॉर्पस या बेंचमार्क कॉर्पस पर गणना किया जाएगा, जो भी कम हो, और विकल्प चयन करने की तिथि को उनके एनएवी के अनुसार यूनिट्स की वैल्यू होगी।

(ख) बेंचमार्क कॉर्पस की तुलना में हर एक कॉर्पस में कमी होने पर, प्रतिपूर्ति की राशि उस कमी की राशि के बराबर होगी, और यूनिट्स की वैल्यू विकल्प चयन करने की तिथि को उनके एनएवी के अनुसार होगी।

बशर्ते कि, जिन अभिदाताओं ने एनपीएस के अंतर्गत कॉर्पस का 100% एकमुश्त आहरण किया है, वे अकेले इस प्रतिपूर्ति के विकल्प का चयन नहीं कर सकेंगे।

(ग) अभिदाता खंड (क) और (ख) में उल्लिखित न्यूनताओं की प्रतिपूर्ति का विकल्प चुन सकता है।

XXIX. अध्याय VIII के अंतर्गत विनियम 23 के उप-विनियम (3) को इस रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:

(3) कार्यालय प्रमुख द्वारा उप-विनियम (1) के अंतर्गत आने वाले ऐसे कर्मचारियों के सेवा अभिलेख (सर्विस रिकॉर्ड) को अपडेट रखा जाएगा।

XXX. अध्याय VIII के अंतर्गत विनियम 26 के उप-विनियम (3) के अंतर्गत खंड (xv) के बाद यह खंड (xv क) अंतःस्थापित किया जाएगा:

(xv क) PAO से उचित रूप में अनुमत स्विच आवेदन मिलने पर, यूपीएस के अंतर्गत डिफॉल्ट इन्वेस्टमेंट पैटर्न पर गणना किए गए रिटर्न के साथ 4% का डिफरेंशियल अंशदान, उस समय के लिए जब कर्मचारी एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत था, इन विनियम के अनुसार, ऐसे अभिदाता के पूल कॉर्पस से एनपीएस टियर / अकाउंट में स्व-प्राधिकृत करेगा;

XXXI. अनुसूची I के अंतर्गत, अनुसूची I में शामिल फॉर्मों के सारांश के बाद यह अन्तःस्थापित किया जाएगा:

इन फॉर्म में प्रदत्त आंकड़े, विषयवस्तु और दूसरे विवरण सांकेतिक हैं और किसी प्रक्रिया या रीति सहित ऑपरेशनल उद्देश्यों के लिए पीएफआरडीए द्वारा इन्हें उचित रूप में संशोधित किया जा सकता है। साथ ही, अपेक्षित होने पर पीएफआरडीए कोई अन्य फॉर्म भी तैयार कर सकता है।

XXXII. अनुसूची I के अंतर्गत फॉर्म A1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा –

फॉर्म A1

एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) – अभिदाता पंजीकरण फॉर्म
फॉर्म भरने से पहले, कृपया फॉर्म के अंत में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

अभिदाता और उनके पति/पत्नी की संयुक्त तस्वीर

प्रति,

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट

मैं.....

.....पुत्र/पुत्री

श्री/श्रीमती.....

..... दिनांक को केंद्र सरकार की सेवा में

शामिल हुआ / हुई और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना एफ सं. FX-1/3/2024-PR, दिनांक 24/01/2025 द्वारा अधिसूचित पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन) विनियम, 2025 और केंद्रीय सिविल सेवा (एनपीएस के तहत यूपीएस का कार्यान्वयन) नियम, 2025, समय-समय पर यथासंशोधित के प्रावधानों को पढ़ने और पूरी तरह से समझने और एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुनने के लिए पात्र होने के उपरांत; एतद्वारा एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के अंतर्गत शामिल होने के विकल्प का चयन करता / करती हूँ। मैं अनुरोध करता / करती हूँ कि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार मेरे नाम पर एक यूपीएस खाता खोला जाए:

1. व्यक्तिगत विवरण*

संबोधन*	श्री/श्रीमती/कुमारी	जन्म-तिथि*		कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्री का लिंग (यदि विवाहित हो)	पुरुष/महिला/ट्रांसजेंडर
आवेदक का नाम*		जन्म स्थान*		पति/पत्री का नाम	
पिता का नाम		जन्म का देश*		पति या पत्री की जन्म तिथि	
माता का नाम		पैन*		आय सीमा (प्रति वर्ष)*	1 लाख से कम /1-5 लाख/5-10 लाख/10-25 लाख/25 लाख-1 करोड़/ 1 करोड़ रुपये से ज्यादा
अनाथ स्थिति*	हां /नहीं	आवेदक लिंग*	पुरुष/महिला/ट्रांसजेंडर	राजनीतिक रूप से जुड़े व्यक्ति / राजनीतिक रूप से जुड़े व्यक्ति से संबंधित	हां / नहीं
पीआरएएन कार्ड* पर प्रदर्शित होने वाला नाम:	पिता का नाम/माता का नाम	वैवाहिक स्थिति*	अविवाहित/विवाहित	नामिती का विवरण*	
* पिता या माता का नाम अनिवार्य है					
पहचान और पते के लिए प्रमाण (पीओआई/पीओए) (कोई भी प्रस्तुत करें)					
पता विवरण*					
मोबाइल नं.*		ईमेल*			
बैंक खाता संख्या* (प्रमाण जमा करें: रद्द किया गया चेक/पासबुक/बैंक स्टेटमेंट/सर्टिफिकेट)		खाते का प्रकार*		बचत/चालू	
बैंक का नाम*		आईएफएस कोड*			
निवेश विकल्प	डिफॉल्ट आँटो - एलसी 25/एलसी 50/बीएलसी 50/एलसी 75 सक्रिय - G100	चेंशन फंड विकल्प			

मैं यूपीएस के नियमों और शर्तों से सहमत हूँ। मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि प्रदान की गई सारी जानकारी सही है और किसी भी बदलाव को सीआरए/एनपीएस ट्रस्ट को सूचित किया जाएगा। मैं यूपीएस संचालन के लिए अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने को अधिकृत करता / करती हूँ।

PMLA घोषणा :

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मेरा अंशदान कानूनी रूप से मूल्यांकन की गई आय से है। एनपीएस ट्रस्ट मेरी प्रोफाइल सत्यापित कर सकता है या अधिकारियों के साथ जानकारी साझा कर सकता है। मैं समझता / समझती हूँ कि उल्लंघन के मामले में मेरा पीआरएएन बंद किया जा सकता है।

हस्ताक्षर/अंगूठा/पंजे का छाप*

(*पुरुषों के लिए बाएँ हाथ के अंगूठे, महिलाओं के लिए दायें हाथ के अंगूठे; हाथ न होने पर पैर के पंजे का छाप)

दिनांक: _____

स्थान: _____

नोडल अधिकारी द्वारा घोषणा*

रोजगार विवरण (यूपीएस विकल्प का चयन करने के समय)

शामिल होने की तिथि*:		समूह (वैकल्पिक)	ए/बी (राजपत्रित) / बी (गैर-राजपत्रित) / सी / डी / अन्य	मंत्रालय*	पुरुष/महिला/ट्रांसजेंडर
अर्हता सेवा शुरू होने की तिथि*		सेवा*	आईएएस/आईपीएस/आईएफएस/अन्य (गैर-आईएस)	मंत्रालय*	
सेवानिवृत्ति की तिथि*:		मूल वेतन*		डीडीओ पंजीकरण संख्या*	
कर्मचारी कोड/आईडी*		वेतनमान		पीएओ पंजीकरण संख्या*	1 लाख से कम/1-5 लाख/5-10 लाख/10-25 लाख/25 लाख-1 करोड़/1 करोड़ से ज्यादा
पद/पदनाम		कार्यालय का नाम*	पुरुष/महिला/ट्रांसजेंडर		

प्रमाणीकरण:

सत्यापित और प्रमाणित किया गया कि विवरण सत्य और सही हैं।

यह प्रमाणित है कि श्री/श्री/कुमारी _____ इस कार्यालय में कार्यरत हैं। फॉर्म में दिए गए विवरण को सेवा अभिलेखों के अनुसार सत्यापित किया गया है। पता और केवाईसी दस्तावेजों का सत्यापन किया गया है।

डीडीओ के हस्ताक्षर और नाम

डीडीओ का नाम	डीडीओ पंजीकरण सं.
दिनांक:	स्थान:

पीएओ के हस्ताक्षर और नाम

पीएओ का नाम	पीएओ पंजीकरण संख्या.
दिनांक:	स्थान:

पावती

अभिदाता का नाम :	
आवेदन प्राप्त होने की तिथि:	

XXXIII. अनुसूची I के अंतर्गत फॉर्म A2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा –

फॉर्म A2

[विनियम 4 देखें]

एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के अंतर्गत शामिल होने के लिए वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में शामिल केंद्र सरकार के पात्र कर्मचारी द्वारा विकल्प का चयन

मैं.....पुत्र/पुत्री

श्री/श्रीमती दिनांक 01/04/2025 को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) के साथ एनपीएस का अभिदाता होने के कारण केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना सं एफएक्स-1/3/2024-पीआर, दिनांक 24/01/2025 के माध्यम से अधिसूचित एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) और पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन) विनियम, 2025 यथा संशोधित के प्रावधानों को पढ़ने और पूरी तरह से समझने और एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुनने के लिए पात्र होने के नाते, एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के तहत शामिल होने के विकल्प का चयन करता / करती हूँ।

इसके अलावा, मैं पुष्टि करता / करती हूँ कि मेरे मौजूदा एनपीएस खाते के लिए वर्तमान नामिती, यूपीएस विनियमों के प्रयोजन के लिए नामिती बना रहेगा / रहेगी।

मैं सीआरए, एनपीएस ट्रस्ट या यूपीएस से जुड़ी किसी अन्य संस्था को पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 और उसके तहत अधिसूचित प्रासंगिक विनियमों के अंतर्गत विनियमित उक्त योजना के उद्देश्य के लिए मेरी आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी का डेटा/विवरण एकत्र करने और साझा करने के लिए अधिकृत करता / करती हूँ।

दिनांक: -----

अभिदाता के हस्ताक्षर

स्थान: -----

नाम -----

(सेवा अभिलेखों के आधार पर डीडीओ द्वारा भरा और प्रमाणित किया जाना है)

रोजगार विवरण (यूपीएस विकल्प के चयन के समय)	
कर्मचारी कोड/आईडी	
अर्हता सेवा शुरू होने की तिथि {विनियम 13 के साथ पठित विनियम 2 (ट) में परिभाषित अर्हता सेवा}	
वर्तमान माह मूल वेतन	
गैर-अभ्यास भत्ता (एनपीए), यदि लागू हो	
अगली वेतन वृद्धि के लिए निर्धारित तिथि	

डीडीओ के हस्ताक्षर और नाम	पीएओ के हस्ताक्षर और नाम		
डीडीओ पंजी. सं.	पीएओ पंजी. सं.		
दिनांक:	स्थान:	दिनांक:	स्थान:

नोट / निर्देश:

- इस फॉर्म की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति डीडीओ द्वारा कर्मचारी के सेवा अभिलेखों में रखी जाएगी और इसकी एक प्रति कर्मचारी को उसके रिकॉर्ड के लिए प्रदान की जाएगी।
- डीडीओ कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित डेटा को केंद्रीय अभिलेखपाल प्रणाली में दर्ज करेगा और अभिदाता द्वारा भौतिक रूप से फॉर्म जमा करने के मामले में, डीडीओ इस विधिवत हस्ताक्षरित विकल्प फॉर्म की एक प्रति अपलोड करेगा। पीएओ सीआरए प्रणाली में अभिदाता द्वारा अपने लॉगिन के माध्यम से चयन किए गए विकल्प को अधिकृत और अनुमोदित करेगा।

XXXIV. शेड्यूल I के अंतर्गत A2 के बाद एक नया फॉर्म A3 अन्तःस्थापित किया जाएगा, जो इस प्रकार होगा –

फॉर्म A3

[विनियम 3क देखें]

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) का वापस चयन करने के लिए वर्तमान में एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) में शामिल केंद्र सरकार के पात्र कर्मचारी द्वारा एकमुश्त वन-वे स्विच सुविधा का प्रयोग

मैं.....पुत्र/पुत्री

श्री/श्रीमती दिनांक 01/04/2025 को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) के साथ यूपीएस का अभिदाता होने के कारण केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना संएफएक्स-1/3/2024-पीआर, दिनांक 24/01/2025 के माध्यम से अधिसूचित एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) और पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन) विनियम, 2025 यथा संशोधित के प्रावधानों को पढ़ने और पूरी तरह से समझने और एनपीएस का वापस चयन करने हेतु पात्र होने के नाते, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत शामिल होने के लिए विनियम 3क के तहत वन टाइम वन वे स्विच सुविधा के विकल्प का चयन करना चाहता / चाहती हूँ।) मैं समझता / समझती हूँ कि एक बार चयन किए जाने वाले इस विकल्प को अपरिवर्तनीय माना जाएगा और इस विकल्प का चयन करने पर मैं यूपीएस के अंतर्गत सभी दावों और लाभों को छोड़ दूंगा / दूंगी और मुझे वापस एनपीएस में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

मैं सीआरए, एनपीएस ट्रस्ट या यूपीएस से जुड़ी किसी अन्य संस्था को पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 और उसके तहत अधिसूचित प्रासंगिक विनियमों के अंतर्गत विनियमित उक्त योजना के उद्देश्य के लिए मेरी आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी का डेटा/विवरण एकत्र करने और साझा करने के लिए अधिकृत करता / करती हूँ।

दिनांक:-----

अभिदाता के हस्ताक्षर

स्थान: -----

नाम:-----

(सीआरए प्रणाली में दर्ज विवरण)

I.	रिटर्न के साथ अंतरित 4% कॉर्पस के अनुरूप इकाइयाँ (यूपीएस में शामिल होने की तारीख से स्विच विकल्प के लिए आवेदन करने की तारीख तक,) ऐसी इकाइयों का मूल्य रूपये में	
II.		

(सेवा अभिलेखों के आधार पर डीडीओ द्वारा भरा और प्रमाणित किया जाना है)

रोजगार विवरण (यूपीएस विकल्प के चयन के समय)	
कर्मचारी कोड/आईडी	
विकल्प के चयन की तिथि	
अधिवर्षिता / सेवानिवृत्ति / स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति / एफआर 56 के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तिथि	

डीडीओ के हस्ताक्षर और नाम	पीएओ के हस्ताक्षर और नाम
डीडीओ पंजीकरण सं.	पीएओ पंजीकरण सं.
दिनांक: स्थान:	दिनांक: स्थान:

नोट / निर्देश:

- इस फॉर्म की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति डीडीओ द्वारा कर्मचारी के सेवा अभिलेखों में रखी जाएगी और इसकी एक प्रति कर्मचारी को उसके रिकॉर्ड के लिए प्रदान की जाएगी।
- डीडीओ कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित डेटा को केंद्रीय अभिलेखपाल प्रणाली में दर्ज करेगा और अभिदाता द्वारा भौतिक रूप से फॉर्म जमा करने के मामले में, डीडीओ इस विधिवत हस्ताक्षरित विकल्प फॉर्म की एक प्रति अपलोड करेगा। पीएओ सीआरए प्रणाली में अभिदाता द्वारा अपने लॉगिन के माध्यम से चयन किए गए विकल्प को अधिकृत और अनुमोदित करेगा।

XXXV. अनुसूची I के अंतर्गत फॉर्म B1 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा –

फॉर्म बी1

[विनियम 19, 20 और 23 देखें]

दावा और भुगतान फॉर्म

एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के अभिदाता जो 01/04/2025 को या उसके बाद सेवानिवृत्त / अधिवर्षित हुए

फॉर्म भरने से पहले, कृपया फॉर्म के अंत में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

अभिदाता और उनके पति / पत्नी की संयुक्त तस्वीर

भाग-ए (अभिदाता द्वारा भरा जाना है)

1. श्रेणी (कोई एक):

I.	सेवानिवृत्ति (न्यूनतम 10 वर्ष की अर्हता सेवा के बाद)	
II.	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (यूपीएस नियमों के अनुसार 20 साल की अर्हता सेवा के बाद)	
III.	एफआर 56 (ज) के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति (शास्ति के रूप में नहीं)	
IV.	एफआर 56 (एफआर 56 (ज) को छोड़कर) या यूपीएस नियमों के अनुसार विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्ति	

V.	तकनीकी त्यागपत्र या अवशोषण (यूपीएस नियमों के अनुसार न्यूनतम 10 साल की अर्हता सेवा के बाद)	
VI.	अनिवार्य सेवानिवृत्ति (यूपीएस नियमों के अनुसार शास्ति के रूप में)	
VII.	विभागीय या न्यायिक कार्यवाही से दोषमुक्त (यूपीएस नियमों के अनुसार)	

2. अभिदाता का विवरण:

नाम		कर्मचारी कोड/आईडी		पीआरएएन	
जन्म तिथि		सेवा में शामिल होने की तिथि			
लिंग		रोजगार की समाप्ति की तिथि (सेवानिवृत्ति / अधिवर्षिता /त्यागपत्र)		सेवानिवृत्ति की सम्भावित तिथि	
विभागीय / न्यायिक कार्यवाही से दोषमुक्ति की तिथि (श्रेणी VII के लिए)*					
डीडीओ (कार्यालय का नाम)		पैन		मंत्रालय/विभाग (जहां से सेवानिवृत्त हुए)	
पीएओ (कार्यालय का नाम)					

3. केवाईसी विवरण:

दस्तावेज़ (दस्तावेजों में से एक)	दस्तावेज का प्रकार	पहचान संख्या	वैधता (पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस के मामले में)
आधार*/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट/वोटर आईडी/सीकेवाईसी आईडी/एनपीआर द्वारा जारी पत्र			

4. वर्तमान पता:

फ्लैट/मकान नंबर/बिल्डिंग का नाम		सड़क/इलाका	
गांव और डाकघर/ब्लॉक		शहर/जिला	
राज्य		पिन कोड	
देश			

5. सम्पर्क विवरण:

टेलीफोन नं. (यदि कोई हो)		मोबाइल नं.	
ई-मेल आईडी			

6. रोजगार की समाप्ति की तिथि पर कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी का विवरण (श्रेणी I से VII के लिए):

नाम		पेन*	
जन्म तिथि		आधार नंबर*	
लिंग			
मोबाइल नं.		ई-मेल आईडी	

7. बैंक खाते का विवरण:

बैंक खाते का प्रकार	<input type="checkbox"/> सेवानिवृत्ति की तिथि पर कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी के साथ संयुक्त <input type="checkbox"/> एकल (सेवानिवृत्ति की तारीख पर केवल कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी की अनुपस्थिति में)	बैंक खाता सं.	
बैंक का नाम		आईएफएससी	
नोट: कृपया सुनिश्चित करें कि सरकारी कर्मचारी संयुक्त खाते में प्राथमिक खाताधारक हो।			

8. अंतिम आहरण प्रतिशत – (कॉर्पस का 60% तक आहरित किया जा सकता है)

मैं अंतिम आहरण का विकल्प चुनना चाहता / चाहती हूं (अभिदाता द्वारा यूपीएस लाभ न उठाए जाने पर लागू)	व्यक्तिगत कॉर्पस का%
मैं इस विकल्प का चयन कर रहा / रही हूँ क्योंकि मैं पूरी तरह से जानता / जानती हूँ कि अंतिम आहरण की स्थिति सुनिश्चित भुगतान को आनुपातिक रूप से कम कर देगी।	

घोषणा:

मैं.....पुत्र/पुत्री
 श्री/श्रीमती दिनांक 01/04/2025 को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) के साथ यूपीएस का अभिदाता होने के कारण केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना संएफएक्स-1/3/2024-पीआर, दिनांक 24/01/2025 के माध्यम से अधिसूचित एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस), लागू यूपीएस नियम और पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन) विनियम, 2025 यथा संशोधित के प्रावधानों को पढ़ और समझ चुका / चुकी हूँ। मैं एतद्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मैं उपर्युक्त अधिसूचना, नियमों और विनियमों के संदर्भ में यूपीएस के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हूँ। मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और सही है।

मैं सीआरए, एनपीएस ट्रस्ट या यूपीएस से जुड़ी किसी अन्य संस्था को पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 और उसके तहत अधिसूचित प्रासंगिक विनियमों के तहत विनियमित उक्त योजना के प्रयोजन के लिए मेरी आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी का डेटा/विवरण एकत्र करने और साझा करने के लिए अधिकृत करता / करती हूँ।

स्थान: _____

हस्ताक्षर: _____

दिनांक: _____

नाम: _____

अतिरिक्त घोषणा (श्रेणी VII के लिए):

मैं पुत्र/पुत्री
 श्री/श्रीमती दिनांक 01/04/2025 को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या
 (पीआरएएन) के साथ यूपीएस का अभिदाता होने के कारण एतद्वारा घोषणा करता / करती हूँ
 कि मुझे दिनांक _____ के कार्यालय ज्ञापन _____ के माध्यम से विभागीय/न्यायिक कार्यवाही से मुझे दोषमुक्त कर
 दिया गया है और मैं उपर्युक्त अधिसूचना, नियमों और विनियमों के संदर्भ में यूपीएस के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र
 हूँ। यूपीएस लाभ प्राप्त करने के लिए, मैं अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख तक अपने बैंचमार्क कॉर्पस की राशि का ____%
 (न्यूनतम 40%) भुगतान करने के लिए सहमत हूँ, लागू ब्याज के साथ, जैसा कि कार्यालय प्रमुख द्वारा गणना की गई है। मैं
 प्रमाणित करता / करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और सही है।

स्थान: _____

हस्ताक्षर: _____

दिनांक: _____

नाम: _____

भाग-बी (सीआरए प्रणाली में दर्ज विवरण)

1. अभिदाता को देय यूपीएस लाभों की गणना के लिए विवरण:

I.	व्यक्तिगत कॉर्पस (आईसी): रोजगार की समाप्ति की तिथि पर कॉर्पस का मूल्य	
II.	बेंचमार्क कॉर्पस (बीसी) (रोजगार की समाप्ति की तिथि पर)	
III.	बेंचमार्क कॉर्पस (आईसी-बीसी) की तुलना में व्यक्तिगत कॉर्पस में अधिकता/कमी	
IV.	अंतिम आहरण (% में)	

भाग-सी (सीआरए प्रणाली में डीडीओ द्वारा भरा जाना है)

1. सेवा अभिलेखों के अनुसार रोजगार विवरण:

i.	फ़ाइल संख्या	
ii.	कर्मचारी कोड/आईडी	
iii.	अर्हता सेवा शुरू होने की तिथि (कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित अर्हता सेवा)	
iv.	रोजगार की समाप्ति की तिथि (सेवानिवृत्ति / अधिवर्षिता/त्यागपत्र)	
v.	महीनों में अर्हता सेवा की अवधि (क्यू)	
vi.	पूर्ण छमाहियों में अर्हता सेवा की अवधि (एल) (अंश को अनदेखा किया जाना चाहिए)	
vii.	भुगतान में प्रतिशत में कमी (शास्ति के रूप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में - जैसा कि यूपीएस नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है)	
viii.	विभाग/न्यायिक कार्यवाही से मुक्त किए गए अभिदाता द्वारा भुगतान की जाने वाली व्याज सहित राशि यूपीएस नियमों (श्रेणी VII) के अनुसार कार्यालय प्रमुखपी द्वारा निर्धारित लाभों के लिए यूपीएस लाभों के लिए	
ix.	मासिक स्वीकार्य भुगतान शुरू होने की तिथि (एफआर 56 के तहत सेवानिवृत्ति/स्वैच्छक सेवानिवृत्ति / अधिवर्षिता {एफआर 56 (ज) को छोड़कर}/तकनीकी त्यागपत्र/अवशोषण/विभाग की कार्यवाही से दोषमुक्त होने के मामले में: सेवानिवृत्ति के अगले दिन से, एफआर 56 (ज) के तहत जुर्माना/सेवानिवृत्ति के रूप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में: सेवानिवृत्ति के अगले दिन से)	

2. रोजगार की समाप्ति से पहले पिछले 12 महीनों के लिए मूल वेतन विवरण (श्रेणी 1 से VII के लिए):

	मूल वेतन	एनपीए (निजी प्रैक्टिस के बदले में चिकित्सा अधिकारी को प्रदत्त गैर-प्रैक्टिस भत्ता)	कुल (मूल वेतन + एनपीए)		मूल वेतन	एनपीए (निजी प्रैक्टिस के बदले में चिकित्सा अधिकारी को प्रदत्त गैर-प्रैक्टिस भत्ता)	कुल (मूल वेतन + एनपीए)
माह 1				माह 7			
माह 2				माह 8			
माह 3				माह 9			
माह 4				माह 10			
माह 5				माह 11			
माह 6				माह 12			
12 महीने का औसत (मूल वेतन + एनपीए) = पी							

3. रोजगार की समाप्ति से पहले पिछले महीने का वेतन विवरण (श्रेणी I-VII के लिए):

माह/वर्ष	मूल वेतन (निजी प्रैक्टिस के बदले में चिकित्सा अधिकारी को प्रदत्त गैर-प्रैक्टिस भत्ता) यदि कोई हो (बीपी)	महंगाई भत्ता (डीए)	कुल ई = (बीपी + डीए)
पिछले महीने एकमुश्त भुगतान के लिए परिलक्ष्य (ई)			

प्रमाणित किया जाता है कि भाग-ए में अभिदाता द्वारा प्रदान किए गए विवरण, रोजगार और वेतन का विवरण यानी, अहंता सेवा, अंतिम मूल वेतन, औसत मूल वेतन, सेवानिवृत्ति / अधिवर्षिता की तारीख, सेवानिवृत्ति की तारीख पर कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी का विवरण, जिसे कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित किया गया है और प्रविष्टि इस तरह के प्रमाणीकरण के अनुसार की गई है।

सत्यापित और प्रमाणित किया गया कि विवरण सत्य और सही हैं।

डीडीओ के हस्ताक्षर और नाम

डीडीओ का नाम	डीडीओ पंजीकरण सं.
दिनांक:	स्थान:

फॉर्म बी1

(भाग डी)

पीएओ द्वारा जारी यूपीएस भुगतान आदेश (यूपीओ)

(सिस्टम द्वारा निर्मित)

प्रति

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्रस्ट

(जोड़ा जाने वाला पता) - सिस्टम

अभिदाता और उनके
पति पत्नी की संयुक्त
तस्वीर

फ़ाइल संख्या:		जारी करने की तिथि:	
यूपीएस भुगतान आदेश (यूपीओ) संख्या			

1. अभिदाता श्रेणी (कोई एक):

I.	सेवानिवृत्ति (न्यूनतम 10 वर्ष की अर्हता सेवा के बाद)	
II.	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (यूपीएस नियमों के अनुसार 20 साल की अर्हता सेवा के बाद)	
III.	एफआर 56 (ज) के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति (शास्ति के रूप में नहीं)	
IV.	एफआर 56 (एफआर 56 (ज) को छोड़कर) या यूपीएस नियमों के अनुसार विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्ति	
V.	तकनीकी त्यागपत्र या अवशोषण (यूपीएस नियमों के अनुसार न्यूनतम 10 साल की अर्हता सेवा के बाद)	
VI.	अनिवार्य सेवानिवृत्ति (यूपीएस नियमों के अनुसार शास्ति के रूप में)	
VII.	विभागीय या न्यायिक कार्यवाही से दोषमुक्त	

2. अभिदाता का विवरण:

नाम		कर्मचारी कोड/आईडी		पीआरएएन	
जन्म तिथि		सेवा में शामिल होने की तिथि			
लिंग		रोजगार की समाप्ति की तिथि (सेवानिवृत्ति / अधिवर्षिता /त्यागपत्र)		सेवानिवृत्ति की सम्भावित तिथि	
विभागीय / न्यायिक कार्यवाही से दोषमुक्ति की तिथि (श्रेणी VIII के लिए)*					
डीडीओ (कार्यालय का नाम)		पैन		मंत्रालय/विभाग (जहां से सेवानिवृत्त हुए)	
पीएओ (कार्यालय का नाम)					

3. रोजगार की समाप्ति की तारीख पर कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी का विवरण (श्रेणी I से VII के लिए):

नाम		पैन	
जन्म तिथि		इ-मेल आईडी	
लिंग		मोबाइल नं.	

4. बैंक खाते का विवरण:

बैंक खाता सं.		बैंक का नाम		आईएफ एससी	
---------------	--	-------------	--	--------------	--

5. रोजगार और वेतन का विवरण:

I.	महीनों की संख्या में अर्हता सेवा की अवधि	
II.	पिछले 12 महीनों का औसत मूल वेतन	
III.	पिछले महीने का वेतन (मूल वेतन + डीए)	
IV.	छह महीने में अर्हता सेवा की अवधि पूरी हो गई	
V.	भुगतान में कमी (%) (शास्ति के रूप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में)	
VI.	अभिदाता द्वारा भुगतान किए गए बेंचमार्क कॉर्पस का प्रतिशत विभाग/न्यायिक कार्यवाही से मुक्त कर दिया गया है और यूपीएस लाभों द्वारा दावा किया गया है (श्रेणी VII)	
VII.	मासिक स्वीकार्य भुगतान शुरू होने की तिथि	,

अभिदाता को देय स्वीकार्य यूपीएस लाभों की मंजूरी

6. अभिदाता को देय यूपीएस लाभ:

I.	एकमुश्त भुगतान	
II.	बेंचमार्क कॉर्पस की तुलना में व्यक्तिगत कॉर्पस में अधिकता, यदि कोई हो,	
III.	अंतिम आहरण राशि	
IV.	स्वीकार्य भुगतान	
V.	भुगतान में कमी (शास्ति के रूप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में)	
VI.	संशोधित स्वीकार्य भुगतान (शास्ति के रूप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में)	
VII.	स्वीकार्य भुगतान/संशोधित स्वीकार्य भुगतान पर डीआर राशि	
VIII.	स्वीकार्य भुगतान और लागू डीआर की बकाया राशि (विभाग/न्यायिक कार्यवाही से दोषमुक्त किए गए अभिदाताओं के लिए ब्याज सहित)	

पीएओ के हस्ताक्षर और नाम	
पीएओ का नाम	पीएओ पंजीकरण संख्या
दिनांक:	स्थान:

उचित सत्यापन के बाद यूपीएस भुगतान आदेश प्राप्त होने पर लाभ जारी करने को अधिकृत करना

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एनपीएस ट्रस्ट	
दिनांक:	स्थान:

प्रति,

अभिदाता के लिए

(पता और ईमेल और मोबाइल) - ईमेल पर

फॉर्म भरने के निर्देश

भाग - A

1. सभी क्षेत्र अनिवार्य हैं, जब तक कि तारांकन के साथ चिह्नित न हों।
2. कृपया सेवा अभिलेखों के अनुसार अभिदाता का विवरण भरें।
3. कृपया उस कार्यालय के डीडीओ, पीएओ, विभाग/मंत्रालय का विवरण दें जहां से आप सेवानिवृत्त हुए हैं।
4. 5 केवाईसी दस्तावेजों में से कोई एक प्रदान किया जा सकता है। फॉर्म ऑनलाइन भरने के मामले में आधार नंबर या सीकेवाईसी आईडी प्रदान की जा सकती है।
5. वर्तमान पता प्रदान किए गए केवाईसी दस्तावेज के अनुसार होगा। यदि वर्तमान पते में परिवर्तन होता है, तो संबंधित केवाईसी दस्तावेजों को पहले अपडेट किया जाना चाहिए।
6. दावेदार के मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी को एक ओटीपी या लिंक भेजकर अलग से सत्यापित किया जाएगा, जैसा लागू हो।
7. केंद्र सरकार की नियमित सेवा में शामिल होने की तिथि सीआरए प्रणाली से ली जाएगी, हालांकि, किसी भी परिवर्तन के मामले में, इसे अभिदाता द्वारा संपादित किया जाएगा और डीडीओ द्वारा विधिवत सत्यापित किया जाएगा।
8. अगर कानूनी तौर पर विवाहित पति या पत्नी के लिए आधार नंबर दिया जा रहा है, तो आधार नंबर के केवल अंतिम चार अंक प्रदान किए जा सकते हैं।

इस फॉर्म के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

दावेदार द्वारा:

- i. पासबुक/बैंक स्टेटमेंट के पहले पृष्ठ की फोटोकॉपी या बैंक खाते का रद्द किया गया चेक या खाताधारक का नाम और खाता विवरण दर्शने वाला कोई अन्य बैंक दस्तावेज, जिसमें भुगतान जमा किया जाना है।
- ii. दावेदार के पैन कार्ड की कॉपी।
- iii. दावेदार के केवाईसी दस्तावेज
- iv. एक संयुक्त तस्वीर
- v. दावेदार के नमूना हस्ताक्षर

डीडीओ द्वारा:

- vi. कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित रोजगार विवरण वाले दस्तावेज की प्रति
- vii. अभिदाता द्वारा हस्ताक्षरित फॉर्म की प्रति (यदि अभिदाता द्वारा भौतिक रूप से फॉर्म जमा किया गया हो)

XXXVI. शेष्यूल I के अंतर्गत फॉर्म B5 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा –

फॉर्म बी5

[विनियम 19, 20 और 23 देखें]

दावा और भुगतान फॉर्म

मृतक एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) अभिदाता, जो 01/04/2025 को या उसके बाद सेवानिवृत्त / अधिवर्षित हो गया हो या अभिदाता की सेवा मृत्यु हो गई हो और यूपीएस लाभ के लिए पात्र हो और अभिदाता ने यूपीएस के तहत लाभ नहीं उठाया हो, का पति या पत्नी

फॉर्म भरने से पहले, कृपया फॉर्म के अंत में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

पति / पत्नी की तस्वीर

भाग-ए (पति या पत्नी द्वारा भरा जाना है)

1. श्रेणी

I.	एफआर 56 के तहत सेवानिवृत्ति/तकनीकी त्यागपत्र/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति / अधिवर्षिता	
II.	सेवाकाल में मृत्यु होने पर - आईसी का एकमुश्त भुगतान	
III.	सेवाकाल में मृत्यु होने पर - यूपीएस लाभ (कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी के लिए उपलब्ध विकल्प - यदि अभिदाता ने 20 साल की अर्हता सेवा पूरी कर ली है)	

2. मृतक अभिदाता का विवरण:

नाम		पैन नंबर	
लिंग		एफआर 56 के तहत सेवानिवृत्ति/तकनीकी त्यागपत्र/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति / अधिवर्षिता की तिथि	
पीआरएएन		मृत्यु तिथि (मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार)	
सेवा में शामिल होने की तिथि			

3. रोजगार की समाप्ति की तिथि पर कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्री का विवरण:

नाम		पेन	
जन्म तिथि		लिंग	

4. नामिती का विवरण (यदि कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्री उपलब्ध नहीं है - केवल श्रेणी II के लिए):

नाम		पेन	
जन्म तिथि		लिंग	
नाम		पेन	
जन्म तिथि		लिंग	

5. केवाईसी विवरण:

दस्तावेज़ (दस्तावेजों में से एक)	दस्तावेज का प्रकार	पहचान संख्या	वैधता (पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस के मामले में)
आधार * / ड्राइविंग लाइसेंस / पासपोर्ट / मतदाता आईडी / सीकेवाईसी आईडी / एनपीआर द्वारा जारी पत्र			

6. वर्तमान पता:

फ्लैट/मकान नंबर/बिल्डिंग का नाम		सड़क/इलाका	
गांव और डाकघर/ब्लॉक		शहर/जिला	
राज्य		पिन कोड	
देश			

7. सम्पर्क विवरण:

टेलीफोन नं. (यदि कोई हो)		मोबाइल नं.	
ई-मेल आईडी			

8. यूपीएस लाभों के क्रेडिट के लिए पति या पत्री के बैंक खाते का विवरण:

बैंक खाते का प्रकार		बैंक खाता सं.	
बैंक का नाम		आईएफएससी	

9. अंतिम आहरण प्रतिशत - (श्रेणी I और III के लिए कॉर्पस का 60% तक आहरित किया जा सकता है)

मैं अंतिम आहरण का विकल्प चुनना चाहता / चाहती हूँ (अभिदाता द्वारा यूपीएस लाभ न उठाए जाने पर लागू)	व्यक्तिगत कॉर्पस का%
मैं इस विकल्प का चयन कर रहा / रही हूँ क्योंकि मैं पूरी तरह से जानता / जानती हूँ कि अंतिम आहरण की स्थिति सुनिश्चित भुगतान को आनुपातिक रूप से कम कर देगी।	

घोषणा (सेवाकाल में मृत्यु होने पर आईसी के एकमुश्त भुगतान के मामले में - श्रेणी II):

मैं..... पति/पत्नी
 स्व. श्री/श्रीमती केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना सं एफएक्स-1/3/2024-पीआर,
 दिनांक 24/01/2025 के माध्यम से अधिसूचित एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस), लागू यूपीएस नियम और पीएफआरडीए
 (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन) विनियम, 2025 यथा संशोधित के प्रावधानों को पढ़
 और समझ चुका / चुकी हूँ। मैं एतद्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मैं एकमुश्त व्यक्तिगत कॉर्पस के भुगतान का दावा कर
 रहा / रही हूँ और उपर्युक्त अधिसूचना, नियमों और विनियमों के संदर्भ में किसी भी अन्य यूपीएस लाभ के लिए पात्र नहीं
 हूँ। मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और सही है।

मैं सीआरए, एनपीएस ट्रस्ट या यूपीएस से जुड़ी किसी अन्य संस्था को पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 और उसके तहत
 अधिसूचित प्रासंगिक विनियमों के तहत विनियमित उक्त योजना के प्रयोजन के लिए मेरी आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी
 का डेटा/विवरण एकत्र करने और साझा करने के लिए अधिकृत करता / करती हूँ।

स्थान: _____

हस्ताक्षर: _____

दिनांक: _____

नाम: _____

नामिती द्वारा घोषणा

(यदि सेवाकाल में मृत्यु होने पर आईसी के एकमुश्त भुगतान का विकल्प चुना गया है - श्रेणी II):

मैं..... पुत्र/पुत्री
 यूपीएस अभिदाता श्री/श्रीमती जिनका स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या
 (पीआरएएन) है, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना सं एफएक्स-1/3/2024-पीआर,
 दिनांक 24/01/2025 के माध्यम से अधिसूचित एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस), लागू यूपीएस नियम और पीएफआरडीए
 (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन) विनियम, 2025 यथा संशोधित के प्रावधानों को पढ़
 और समझ चुका / चुकी हूँ। मैं एतद्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मैं एकमुश्त व्यक्तिगत कॉर्पस के भुगतान का दावा
 कर रहा / रही हूँ और उपर्युक्त अधिसूचना, नियमों और विनियमों के संदर्भ में किसी भी अन्य यूपीएस लाभ के लिए पात्र
 नहीं हूँ। मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और सही है।

मैं सीआरए, एनपीएस ट्रस्ट या यूपीएस से जुड़ी किसी अन्य संस्था को पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 और उसके तहत अधिसूचित प्रासंगिक विनियमों के तहत विनियमित उक्त योजना के प्रयोजन के लिए मेरी आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी का डेटा/विवरण एकत्र करने और साझा करने के लिए अधिकृत करता / करती हूँ।

स्थान: _____

हस्ताक्षर: _____

दिनांक: _____

नाम: _____

घोषणा (श्रेणी I और III):

मैंपति/पत्नी
स्व. श्री/श्रीमती केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना सं एफएक्स-1/3/2024-पीआर,
दिनांक 24/01/2025 के माध्यम से अधिसूचित एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) और पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन) विनियम, 2025 यथा संशोधित के प्रावधानों को पढ़ और समझ चुका / चुकी
हूँ। मैं एतद्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मैं उपर्युक्त अधिसूचना और विनियमों के संदर्भ में यूपीएस के तहत लाभ प्राप्त
करने के लिए पात्र हूँ। मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और सही है।

मैं एतद्वारा सीआरए, एनपीएस ट्रस्ट या यूपीएस से जुड़ी किसी अन्य संस्था को पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 और
उसके तहत अधिसूचित प्रासंगिक विनियमों के तहत विनियमित उक्त योजना के उद्देश्य के लिए मेरी आवश्यक व्यक्तिगत
जानकारी का डेटा/विवरण एकत्र करने और साझा करने के लिए अधिकृत करता / करती हूँ।

स्थान: _____

हस्ताक्षर: _____

दिनांक: _____

नाम: _____

भाग-बी (सीआरए प्रणाली में दर्ज विवरण)

1. मृत अभिदाता को देय यूपीएस लाभों की गणना के लिए विवरण:

I.	व्यक्तिगत कॉर्पस (आईसी): सेवानिवृत्ति / अधिवर्षिता की तिथि पर कॉर्पस का मूल्य	
II.	बेंचमार्क कॉर्पस (बीसी) (सेवानिवृत्ति / अधिवर्षिता की तारीख पर)	
III.	बेंचमार्क कॉर्पस (आईसी-बीसी) की तुलना में व्यक्तिगत कॉर्पस की अधिकता/कमी	
IV.	अंतिम आहरण (% में)	

भाग-सी (सीआरए प्रणाली में डीडीओ द्वारा भरा जाना है)

1. सेवा अभिलेखों के अनुसार रोजगार विवरण:

i.	फाइल संख्या	
ii.	कर्मचारी कोड/आईडी	
iii.	अर्हता सेवा शुरू होने की तिथि (विनियम 13 के साथ पठित विनियम 2 (ट) में परिभाषित अर्हता सेवा)	
iv.	रोजगार की समाप्ति की तिथि (सेवानिवृत्ति / अधिवर्षिता/तकनीकी त्यागपत्र/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/एफआर 56 के तहत सेवानिवृत्ति/मृत्यु)	
v.	महीनों में अर्हता सेवा की अवधि (क्यू)	
vi.	पूर्ण छमाहियों में अर्हता सेवा की अवधि (एल) (अंश को अनदेखा किया जाना चाहिए)	
vii.	मासिक स्वीकार्य भुगतान शुरू होने की तिथि (एफआर 56 के तहत सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति / अधिवर्षिता (एफआर 56 (ज) को छोड़कर)/तकनीकी त्यागपत्र/अवशोषण/विभाग की कार्यवाही से दोषमुक्त होने के मामले में: सेवानिवृत्ति के अगले दिन से, एफआर 56 (ज) के तहत जुर्माना/सेवानिवृत्ति के रूप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में: सेवानिवृत्ति के अगले दिन से)	
viii.	पति या पत्नी को परिवार के भुगतान की शुरुआत की तिथि (अभिदाता की मृत्यु के तुरंत बाद)	

2. रोजगार की समाप्ति से पहले पिछले 12 महीनों के लिए मूल वेतन विवरण (श्रेणी I और III के लिए):

	मूल वेतन	एनपीए (निजी प्रैक्टिस के बदले में चिकित्सा अधिकारी को दिया गया गैर-प्रैक्टिस भत्ता)	कुल (मूल वेतन + एनपीए)		मूल वेतन	एनपीए (निजी प्रैक्टिस के बदले में चिकित्सा अधिकारी को दिया गया गैर-प्रैक्टिस भत्ता)	कुल (मूल वेतन + एनपीए)
माह 1				माह 7			
माह 2				माह 8			
माह 3				माह 9			
माह 4				माह 10			
माह 5				माह 11			
माह 6				माह 12			
12 महीने का औसत (मूल वेतन + एनपीए) = पी							

3. रोजगार की समाप्ति से पहले पिछले महीने का वेतन विवरण (श्रेणी I और III के लिए):

माह/वर्ष	मूल वेतन निजी प्रैक्टिस के बदले में चिकित्सा अधिकारी को दिया गया गैर-प्रैक्टिस भत्ता) (बीपी)	महंगाई भत्ता (डीए)	कुल ई = (बीपी + डीए)
पिछले महीने एकमुश्त भुगतान के लिए परिलब्धि (ई)			

प्रमाणित किया जाता है कि भाग-ए में मृत अभिदाता के पति या पत्नी/नामिती द्वारा प्रदान किया गया विवरण, रोजगार का विवरण, सेवानिवृत्ति / अधिवर्षिता/त्यागपत्र की तारीख को कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी, अभिदाता की मृत्यु की तारीख/नामिती का विवरण जिसे कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित किया गया है और प्रविष्टि इस तरह के प्रमाणीकरण के अनुसार की गई है।

सत्यापित और प्रमाणित किया गया कि विवरण सत्य और सही हैं।

डीडीओ के हस्ताक्षर और नाम	
डीडीओ का नाम	डीडीओ पंजीकरण सं.
दिनांक:	स्थान:

फॉर्म बी5

(भाग डी)

पीएओ द्वारा जारी यूपीएस भुगतान आदेश (यूपीओ)

(सिस्टम द्वारा निर्मित)

प्रति,
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट
(जोड़ा जाने वाला पता) - सिस्टम

छापाचित्र
का
पति या पत्नी

फाइल संख्या:		जारी करने की तिथि:	
यूपीएस भुगतान आदेश (यूपीओ) संख्या			

1. मृतक अभिदाता का विवरण:

नाम		पीआरएएन		मृत्यु तिथि (मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार)	
-----	--	---------	--	--	--

2. सेवानिवृत्ति की तारीख पर कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी का विवरण:

नाम		पैन	
जन्म तिथि		लिंग	

3. नामिती का विवरण (यदि कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी उपलब्ध नहीं है - केवल श्रेणी II के लिए):

नाम		पैन	
जन्म तिथि		लिंग	
नाम		पैन	
जन्म तिथि		लिंग	

4. रोजगार और वेतन का विवरण (श्रेणी I और III के लिए):

I.	महीनों की संख्या में अर्हता सेवा की अवधि	
II.	पिछले 12 महीनों का औसत मूल वेतन	
III.	पिछले महीने का वेतन (मूल वेतन + डीए)	
IV.	पूर्ण छमाहियों में अर्हता सेवा की अवधि	
V.	मासिक स्वीकार्य भुगतान शुरू होने की तिथि	
VI.	पति या पत्नी को परिवार भुगतान शुरू होने की तिथि (अभिदाता की मृत्यु के तुरंत बाद)	'

पति या पत्नी को देय स्वीकार्य यूपीएस लाभों की मंजूरी

5. पति या पत्नी को देय यूपीएस लाभः

व्यक्तिगत कॉर्पस भुगतान (केवल श्रेणी II के लिए)*	
एकमुश्त भुगतान	
बैंचमार्क कॉर्पस की तुलना में व्यक्तिगत कॉर्पस की अधिकता, यदि कोई हो,	
अंतिम आहरण (यदि चुना गया हो)	
मासिक परिवार भुगतान	
परिवार के भुगतान पर DR राशि	
पारिवारिक भुगतान शुरू होने की तारीख तक बकाया (मासिक भुगतान के बकाया और स्वीकार्य भुगतान पर डीआर सहित)	
i) अभिदाता की मृत्यु की तारीख तक अभिदाता को देय	
ii) अभिदाता की मृत्यु की तारीख के बाद पति या पत्नी को देय	

पीएओ के हस्ताक्षर और नाम	
पीएओ का नाम	पीएओ पंजीकरण संख्या
दिनांक:	स्थान:

उचित सत्यापन के बाद यूपीएस भुगतान आदेश प्राप्त होने पर लाभ जारी करने को अधिकृत करना

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एनपीएस ट्रस्ट	
दिनांक:	स्थान:

प्रति,

अभिदाता के लिए

(पता और ईमेल और मोबाइल) - ईमेल पर

फॉर्म भरने के निर्देश

भाग - A

1. सभी क्षेत्र अनिवार्य हैं, जब तक कि तारांकन के साथ चिह्नित न हो।
 2. कृपया सेवा अभिलेखों के अनुसार अभिदाता का विवरण भरें।
 3. कृपया उस कार्यालय के डीडीओ, पीएओ, विभाग/मंत्रालय का विवरण दें जहां से आप सेवानिवृत्त हुए हैं।
 4. 5 केवाईसी दस्तावेजों में से कोई एक प्रदान किया जा सकता है। फॉर्म ऑनलाइन भरने के मामले में आधार नंबर या सीकेवाईसी आईडी प्रदान की जा सकती है।
 5. वर्तमान पता प्रदान किए गए केवाईसी दस्तावेज के अनुसार होगा। यदि वर्तमान पते में परिवर्तन होता है, तो संबंधित केवाईसी दस्तावेजों को पहले अपडेट किया जाना चाहिए।
 6. दावेदार के मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी को एक ओटीपी या लिंक भेजकर अलग से सत्यापित किया जाएगा, जैसा लागू हो सकता है।
 7. केंद्र सरकार की नियमित सेवा में शामिल होने की तिथि सीआरए प्रणाली से ली जाएगी, हालांकि, किसी भी परिवर्तन के मामले में, इसे अभिदाता द्वारा संपादित किया जाएगा और डीडीओ द्वारा विधिवत सत्यापित किया जाएगा।
 8. अगर कानूनी तौर पर विवाहित पति या पत्नी के लिए आधार नंबर दिया जा रहा है, तो आधार नंबर के केवल अंतिम चार अंक प्रदान किए जा सकते हैं।
- * एकमुश्त के रूप में व्यक्तिगत कॉर्पस का दावा करने पर, अभिदाता/पति/पत्नी/नामिती किसी भी अन्य यूपीएस लाभ के भुगतान के लिए पात्र नहीं होगा।

इस फॉर्म के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

दावेदार द्वारा:

- i. पासबुक/बैंक स्टेटमेंट के पहले पृष्ठ की फोटोकॉपी या बैंक खाते का रद्द किया गया चेक या खाताधारक का नाम और खाता विवरण दर्शनी वाला कोई अन्य बैंक दस्तावेज, जिसमें भुगतान जमा किया जाना है।
 - ii. मृतक सरकारी अभिदाता के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति
 - iii. दावेदार के पैन कार्ड की कॉपी।
 - iv. दावेदार का केवाईसी दस्तावेज
 - v. एक तस्वीर
 - vi. दावेदार के नमूना हस्ताक्षर
- vii. कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित रोजगार विवरण वाले दस्तावेज की प्रति
- viii. दावेदार द्वारा हस्ताक्षरित फॉर्म की प्रति

XXXVII. शेड्यूल I के अंतर्गत फॉर्म B6 के बाद एक नया फॉर्म C1 अन्तःस्थापित किया जाएगा, जो इस तरह होगा –

फॉर्म C1

व्यक्तिगत कॉर्पस भुगतान फॉर्म

एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के लाभों का दावा करने के लिए पात्र न होने वाले अभिदाताओं के लिए
फॉर्म भरने से पहले, कृपया फॉर्म के अंत में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

अभिदाता और उसके
पति / पत्नी की संयुक्त
तस्वीर

भाग-ए (अभिदाता द्वारा भरा जाना है)

1. श्रेणी (कोई एक):

I.	त्यागपत्र (तकनीकी त्यागपत्र के अलावा)	
II.	तकनीकी त्यागपत्र/अवशोषण (अर्हता सेवा के 10 साल से पहले)	
III.	बर्खास्तगी या सेवा से हटाना	
IV.	लंबित विभागीय या न्यायिक कार्यवाही (यूपीएस नियमों के अनुसार)	
V.	सेवानिवृत्ति (अर्हता सेवा के 10 साल से पहले)	

2. अभिदाता का विवरण:

नाम		कर्मचारी कोड/आईडी		पीआरएएन
जन्म तिथि		सेवा में शामिल होने की तिथि		
लिंग		रोजगार की समाप्ति की तिथि		विभागीय/न्यायिक कार्यवाही शुरू करने की तिथि (श्रेणी IV के लिए)
डीडीओ (कार्यालय का नाम)		पैन		मंत्रालय/विभाग (जहां से सेवानिवृत्त हुए)
पीएओ (कार्यालय का नाम)				

3. नामिती का विवरण (यदि अभिदाता जीवित नहीं है):

नाम		पेन	
जन्म तिथि		लिंग	
नाम		पैन	
जन्म तिथि		लिंग	

4. केवाईसी विवरण:

दस्तावेज़ (दस्तावेजों में से एक)	दस्तावेज का प्रकार	पहचान संख्या	वैधता (पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस के मामले में)
आधार*/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट/वोटर आईडी/सीकेवाईसी आईडी/एनपीआर द्वारा जारी पत्र			

5. वर्तमान पता:

फ्लैट/मकान नंबर/बिल्डिंग का नाम		सड़क/इलाका	
गांव और डाकघर/ब्लॉक		शहर/ज़िला	
राज्य		पिन कोड	
देश			

6. सम्पर्क विवरण:

टेलीफोन नं. (यदि कोई हो)		मोबाइल नं.	
ई-मेल आईडी			

7. बैंक खाते का विवरण:

बैंक खाते का प्रकार		बैंक खाता सं.	
बैंक का नाम		आईएफएससी	

घोषणा:

मैं पुत्र/पुत्री

श्री/श्रीमती, यूपीएस का/की

अभिदाता हूँ और मेरा स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) है और मैं केंद्र सरकार

द्वारा अधिसूचना सं एफएक्स-1/3/2024-पीआर, दिनांक 24/01/2025 के माध्यम से अधिसूचित एकीकृत पेंशन योजना

(यूपीएस), लागू यूपीएस नियम और पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन)

विनियम, 2025 यथा संशोधित के प्रावधानों को पढ़ और समझ चुका / चुकी हूँ। मैं एतद्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि

मैं एकमुश्त व्यक्तिगत कॉर्पस मैं एतद्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि, मैं एकमुश्त व्यक्तिगत कॉर्पस के भुगतान का दावा कर

रहा / रही हूँ क्योंकि मैं उपर्युक्त अधिसूचना, नियमों और विनियमों के संदर्भ में यूपीएस के तहत लाभों के लिए पात्र नहीं हूँ। मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और सही है।

मैं सीआरए, एनपीएस ट्रस्ट या यूपीएस से जुड़ी किसी अन्य संस्था को पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 और उसके तहत अधिसूचित प्रासंगिक विनियमों के तहत विनियमित उक्त योजना के प्रयोजन के लिए मेरी आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी का डेटा/विवरण एकत्र करने और साझा करने के लिए अधिकृत करता / करती हूँ।

स्थान: _____

हस्ताक्षर: _____

दिनांक: _____

नाम: _____

नामिती द्वारा घोषणा

(यदि अभिदाता यूपीएस लाभों के लिए पात्र नहीं था, लेकिन एकमुश्त व्यक्तिगत कॉर्पस प्राप्त करने से पहले उसकी मृत्यु हो गई हो) :

मैं..... पुत्र/पुत्री
 श्री/श्रीमती स्थायी
 सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) वाले यूपीएस अभिदाता का / की नामिती हूँ और मैं केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना सं एफएक्स-1/3/2024-पीआर, दिनांक 24/01/2025 के माध्यम से अधिसूचित एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस), लागू यूपीएस नियम और पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन) विनियम, 2025 यथा संशोधित के प्रावधानों को पढ़ और समझ चुका / चुकी हूँ। मैं एतद्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मैं एकमुश्त व्यक्तिगत कॉर्पस के भुगतान का दावा कर रहा / रही हूँ क्योंकि अभिदाता की मृत्यु हो गई है और वह उपर्युक्त अधिसूचना, नियमों और विनियमों के संदर्भ में यूपीएस के तहत लाभों के लिए पात्र नहीं था। मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और सही है।

मैं सीआरए, एनपीएस ट्रस्ट या यूपीएस से जुड़ी किसी अन्य संस्था को पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 और उसके तहत अधिसूचित प्रासंगिक विनियमों के तहत विनियमित उक्त योजना के प्रयोजन के लिए मेरी आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी का डेटा/विवरण एकत्र करने और साझा करने के लिए अधिकृत करता / करती हूँ।

स्थान: _____

हस्ताक्षर: _____

दिनांक: _____

नाम: _____

भाग-बी (सीआरए प्रणाली में दर्ज विवरण)

1. अभिदाता को देय यूपीएस लाभों की गणना के लिए विवरण:

i.

व्यक्तिगत कॉर्पस (आईसी): रोजगार की समाप्ति की तिथि पर कॉर्पस का मूल्य

भाग-सी (सीआरए प्रणाली में डीडीओ द्वारा भरा जाना है)

1. सेवा अभिलेखों के अनुसार रोजगार विवरण:

i.	फ़ाइल संख्या	
ii.	कर्मचारी कोड/आईडी	
iii.	अर्हता सेवा शुरू होने की तिथि (कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित अर्हता सेवा)	
iv.	रोजगार की समाप्ति की तिथि	

प्रमाणित किया गया है कि भाग-ए में अभिदाता/नामिती द्वारा प्रदान किया गया विवरण और रोजगार का विवरण, जिसे कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित किया गया है और प्रविष्टि इस तरह के प्रमाणीकरण के अनुसार की गई है।

सत्यापित और प्रमाणित किया गया कि विवरण सत्य और सही हैं।

डीडीओ के हस्ताक्षर और नाम

डीडीओ का नाम	डीडीओ पंजीकरण सं.
दिनांक:	स्थान:

फॉर्म C1

(भाग डी)

पीएओ द्वारा जारी व्यक्तिगत कॉर्पस भुगतान आदेश

(सिस्टम द्वारा निर्मित)

प्रति

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट

(जोड़ा जाने वाला पता) - सिस्टम

अभिदाता और पति/पत्नी
की संयुक्त तस्वीर

फ़ाइल संख्या:		जारी करने की तिथि:	
यूपीएस भुगतान आदेश (यूपीओ) संख्या			

1. अभिदाता श्रेणी (कोई एक):

I.	त्यागपत्र (तकनीकी त्यागपत्र के अलावा)
II.	तकनीकी त्यागपत्र/अवशोषण (अर्हता सेवा के 10 साल से पहले)
III.	बर्खास्तगी या सेवा से हटाना
IV.	लंबित विभागीय या न्यायिक कार्यवाही (यूपीएस नियमों के अनुसार)
V.	सेवानिवृत्ति (अर्हता सेवा के 10 साल से पहले)

2. अभिदाता का विवरण:

नाम		कर्मचारी कोड/आईडी		पीआरएएन	
जन्म तिथि		सेवा में शामिल होने की तिथि			
लिंग		रोजगार की समाप्ति की तिथि		विभागीय/न्यायिक कार्यवाही शुरू करने की तिथि (श्रेणी IV के लिए)	
डीडीओ (कार्यालय का नाम)		पैन		मंत्रालय/विभाग (जहां से सेवानिवृत्त हुए)	
पीएओ (कार्यालय का नाम)					

3. बैंक खाते का विवरण:

बैंक खाता सं.		बैंक का नाम		आईएफ एससी
---------------	--	-------------	--	--------------

4. रोजगार का विवरण:

i.	फ़ाइल संख्या	
ii.	कर्मचारी कोड/आईडी	
iii.	अहंता सेवा शुरू होने की तिथि (कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित अहंता सेवा)	
iv.	रोजगार की समाप्ति की तिथि	

अभिदाता को देय व्यक्तिगत कॉर्पस की स्वीकृति

5. अभिदाता को देय राशि:

I.	व्यक्तिगत कॉर्पस भुगतान	
----	-------------------------	--

पीएओ के हस्ताक्षर और नाम	
पीएओ का नाम	पीएओ पंजीकरण संख्या
दिनांक:	स्थान:

उचित सत्यापन के बाद व्यक्तिगत कॉर्पस भुगतान आदेश प्राप्त होने पर लाभ जारी करने को अधिकृत करना

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एनपीएस ट्रस्ट	
दिनांक:	स्थान:

प्रति,

अभिदाता के लिए

(पता और ईमेल और मोबाइल) - ईमेल पर

फॉर्म भरने के निर्देश

भाग - A

1. सभी क्षेत्र अनिवार्य हैं, जब तक कि तारांकन के साथ चिह्नित न हो।
2. कृपया सेवा अभिलेखों के अनुसार अभिदाता का विवरण भरें।
3. कृपया उस कार्यालय के डीडीओ, पीएओ, विभाग/मंत्रालय का विवरण दें जहां से आप सेवानिवृत्त हुए हैं।
4. 5 केवाईसी दस्तावेजों में से कोई एक प्रदान किया जा सकता है। फॉर्म ऑनलाइन भरने के मामले में आधार नंबर या सीकेवाईसी आईडी प्रदान की जा सकती है।
5. वर्तमान पता प्रदान किए गए केवाईसी दस्तावेज के अनुसार होगा। यदि वर्तमान पते में परिवर्तन होता है, तो संबंधित केवाईसी दस्तावेजों को पहले अपडेट किया जाना चाहिए।
6. दावेदार के मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी को एक ओटीपी या लिंक भेजकर अलग से सत्यापित किया जाएगा, जैसा लागू हो सकता है।
7. केंद्र सरकार की नियमित सेवा में शामिल होने की तिथि सीआरए प्रणाली से ली जाएगी, हालांकि, किसी भी परिवर्तन के मामले में, इसे अभिदाता द्वारा संपादित किया जाएगा और डीडीओ द्वारा विधिवत सत्यापित किया जाएगा।
8. अगर कानूनी तौर पर विवाहित पति या पत्नी के लिए आधार नंबर दिया जा रहा है, तो आधार नंबर के केवल अंतिम चार अंक प्रदान किए जा सकते हैं।

इस फॉर्म के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

दावेदार द्वारा:

- i. पासबुक/बैंक स्टेटमेंट के पहले पृष्ठ की फोटोकॉपी या बैंक खाते का रद्द किया गया चेक या खाताधारक का नाम और खाता विवरण दर्शाने वाला कोई अन्य बैंक दस्तावेज, जिसमें भुगतान जमा किया जाना है।
- ii. दावेदार के पैन कार्ड की कॉपी।
- iii. दावेदार के केवाईसी दस्तावेज
- iv. एक संयुक्त तस्वीर
- v. दावेदार के नमूना हस्ताक्षर

डीडीओ द्वारा:

- vi. कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित रोजगार विवरण वाले दस्तावेज की प्रति
- vii. अभिदाता द्वारा हस्ताक्षरित फॉर्म की प्रति (यदि अभिदाता द्वारा भौतिक रूप से फॉर्म जमा किया गया हो)

शिवसुब्रमणियन रमण, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./563/2025-26]

टिप्पणी :

मुख्य विनियम, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन) विनियम, 2025 को दिनांक 19 मार्च, 2025 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए-12/01/0001/2023-विधि. के माध्यम से प्रकाशित किया गया था।

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2025

Pension Fund Regulatory and Development Authority (Operationalisation of Unified Pension Scheme under National Pension System) (Amendment) Regulations, 2025

F. No. PFRDA-16/07/0001/2025-SUP-CG.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 52 read with clauses (f) and (w) of sub-section (2) thereof, of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Operationalisation of Unified Pension Scheme under National Pension System) Regulations, 2025, namely, -

1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Operationalisation of Unified Pension Scheme under National Pension System) (Amendment) Regulations, 2025.

2. These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Operationalisation of Unified Pension Scheme under National Pension System) Regulations, 2025, the following amendments are made:

I. Clause (i) of sub-regulation(1) of regulation 2 under chapter I shall be substituted as follows –

(i) “*Legally wedded spouse*” means the spouse of a subscriber whose name appears as such in the service records on the date of cessation of employment;

II. Clause (k) of sub-regulation(1) of regulation 2 under chapter I shall be substituted as follows –

(k) “*Qualifying Service*” means the period of service in respect of a UPS subscriber, as determined by head of office in accordance with the applicable service rules;

III. After clause (l) of sub-regulation (1) of regulation 2 under chapter I, a new clause (la) shall be inserted as follows:

(la) “*Switch Facility*” means one-time option made available to UPS subscriber to move from UPS to NPS, in the manner specified under regulation 3A.

IV. After clause (o) of sub-regulation (1) of regulation 2 under chapter I, a new clause (oa) shall be inserted as follows:

(oa) “*UPS Rules*” means Central Civil Services (Implementation of Unified Pension Scheme under National Pension System) Rules, 2025 or such applicable service rules as prescribed by the respective employer for UPS Subscribers.

V. Sub-regulation (3) of regulation 3 under chapter II shall be deleted.

VI. After regulation 3 under chapter II, following new regulation 3A shall be inserted as follows:

3A. One time Switch Facility – (1) A subscriber who has exercised an option for UPS under NPS shall be permitted to exercise a one-time switch facility to revert to the National Pension System (NPS) at any time during the service of the Subscriber, but not later than:

(i) twelve months prior to the date of superannuation

(ii) three months prior to the deemed date of voluntary retirement

(iii) at the time of resignation or compulsory retirement under 56(j), which is not a penalty as the case maybe

Provided that the switch facility will not be applicable in the case of removal or dismissal from service or compulsory retirement from service as a penalty or where departmental or judicial proceedings are pending or contemplated against the subscriber.

Provided further that if the subscriber is exonerated from such departmental or judicial proceedings, switch facility maybe exercised by subscriber within three months from the date of exoneration.

(2) In case the switch facility is availed by the employee as per sub-regulation (1) above -

(i) The employee will be eligible for Central Government contribution @14% as available under the National Pension System. The differential 4% contribution along with returns for the period during which the employee was under Unified Pension Scheme (before the switch facility becomes effective) shall be computed on the

default investment pattern under UPS, as notified by the Authority, and credited to the NPS Tier I account of the employee at the time of switch, from the pool corpus.

- (ii) *Future contributions of the Central Government, after the switch facility becomes effective, will be credited to the NPS account of the employee @14% as per provisions of CCS (INPS) Rules, 2021, from the month in which switch has been exercised.*
- (iii) *Provisions of PFRDA (Exit & Withdrawal under NPS) Regulations, 2015 shall apply in respect of such employees. Such employees will not be eligible for assured payouts and other benefits provided under the Unified Pension Scheme.*

VII. Clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 4 under chapter III shall be substituted as follows –

(a) A Central Government employee in service as on 1st April 2025, who is subscribed to NPS shall submit an application to the concerned Drawing and Disbursing Officer (DDO) in Form A2 of Schedule I to enrol in UPS option under NPS in accordance with these regulations along with option forms to avail benefits on death or invalidation or disability of Subscriber during service, as prescribed;

VIII. Clause (b) of sub-regulation (1) of regulation 4 under chapter III shall be substituted as follows –

(b) In case of a new recruit to the Central Government services joining on or after 1st April 2025, the existing process of enrolment under NPS shall continue. In case such new recruit chooses the UPS option under NPS, such person shall submit an application to the concerned DDO in Form A1 of Schedule I, to enrol in UPS option under NPS in accordance with these regulations along with option forms to avail benefits on death or invalidation or disability of Subscriber during service, as prescribed;

IX. Sub-regulation (3) of regulation 5 under chapter III shall be substituted as follows –

(3) In respect of a UPS Subscriber falling under clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 4, upon his opting for UPS and after due authorisation by the concerned PAO, the funds from the NPS Tier I account of such subscriber (both the mandatory employee contribution as well as the government contribution along with returns thereon) accrued or credited for the period of qualifying service under Central Government shall be transferred to the PRAN tagged to UPS in such manner and within such timelines as may be determined by the Authority. The balance funds after such transfer shall continue to be part of same PRAN tagged to NPS Tier I under All Citizen Model.

X. Proviso(2) and Proviso(3) of regulation 6 under chapter IV shall be deleted.

XI. Sub-regulation (2) of regulation 12 under chapter V shall be substituted as follows –

(2) The Benchmark Corpus value shall be based on the net asset value (NAV) of the default pattern, and corresponding units in the benchmark corpus. In respect of missing contribution(s), for any period, the net asset value shall be based on last working day of the month in which contribution(s) is to be received, for the period from 01st April 2025;

XII. Sub-regulation (3) of regulation 12 under chapter V shall be deleted.

XIII. Sub-clause(b) of clause(iii) of sub-regulation (4) of regulation 12 under chapter V shall be substituted as follows –

(b) In the event of any missing contribution in any month, value shall be based on the NAV(s) of default pattern as on the last working day of the month applied to monthly contributions of previous full month.

XIV. Clause(b) sub-regulation (1) of regulation 13 under chapter VI shall be substituted as follows –

(b) In case of Central Government retiring an employee under the provisions of Fundamental Rule 56 or under the special voluntary retirement scheme, as the case maybe, as per UPS Rules.

XV. Clause(c) sub-regulation (1) of regulation 13 under chapter VI shall be substituted as follows –

(c) In case of voluntary retirement after a minimum qualifying service period of twenty-five years or as prescribed in the UPS Rules, from the date such employee would have superannuated, if the service period had continued to superannuation.

XVI. Sub-regulation (2) of regulation 13 under chapter VI shall be substituted as follows –

(2) Notwithstanding enrolment of an employee in the UPS option under NPS, such option shall cease to apply in case of a UPS Subscriber who has been removed or dismissed from service or who has resigned his services, in such cases individual corpus shall be paid in lumpsum to such subscriber, unless otherwise prescribed under UPS rules

XVII. Following sub regulation (3) shall be inserted after sub-regulation (2) of regulation 13 under chapter VI –
(3) In case of compulsory retirement as a penalty or any pending departmental or judicial proceedings as on retirement, the subscriber shall be granted benefits in accordance with UPS Rules.
Provided that if such subscriber is exonerated from departmental or judicial proceedings, the subscriber shall be granted benefits in accordance with UPS Rules.

XVIII. Explanation after sub-regulation(2) of regulation 13 under chapter VI shall be deleted.

XIX. After regulation 13 under chapter VI, following new regulations 13A and 13B, shall be inserted as follows:
“13A. Benefits payable in respect of a UPS subscriber, who has died while in service or discharged from service on account of invalidation or disability.

(1) A Central Government employee who has opted for UPS, if provided under applicable UPS rules, shall be eligible to either opt for availing benefits under UPS or under the CCS (Pension) Rules, 2021 or the CSS (Extraordinary Pension) Rules, 2023 in the event of death of such employee during service or his or her discharge on the ground of invalidation or disablement, in accordance with the UPS Rules and to the extent provided thereunder.

(2) The option exercised may be revised at any number of times by the Central Government employee if so available under the applicable UPS rules before his retirement by making a fresh option intimating his revised option to the Head of Office.

(3) A Central Government employee who is discharged on invalidation or disability, if provided under applicable UPS rules, shall be given an opportunity to submit a fresh option at the time of such discharge. Where such Central Government employee does not exercise a fresh option or is not in a position to exercise fresh option at the time of discharge, the option already exercised by the Central Government employee shall become operative.

(4) In the case of death of a Central Government employee while in service, if provided under applicable UPS rules the last option exercised by the deceased Central Government employee before his death shall be treated as final and the family shall have no right to revise the option.

(5) In all cases where no such option was exercised by a Central Government employee if so available under applicable UPS rules, except:

- i. *where a Central Government employee dies with less than fifteen years of service;*
- ii. *where a Central Government employee is discharged from Government service on account of invalidation or disability with less than fifteen years of service, and is also not in a position to exercise such an option at the time of discharge from service;*

or a Central Government employee has specifically exercised the choice of UPS and not for benefits under CCS (Pension) Rules, 2021 or the CSS (Extraordinary Pension) Rules, 2023, the claim of the Central Government employee on discharge from the service and that of the family on death of the Central Government employee, shall be as follows:

(a) In case of death of Central Government employee falling under sub-regulation (5), then Individual Corpus shall be paid in lump sum or in any other manner from among the options made available by the Authority from time to time, to the legally wedded spouse at the time of demise or in case the legally wedded spouse does not exist, to the nominee(s) or the legal heir(s) on the basis of the legal heir certificate issued by the competent authorities of the State concerned or the succession certificate issued by a court of competent jurisdiction, as the case maybe.

Provided that if in case the Central Government employee dies after completing 20 years of qualifying service, the legally wedded spouse of such employee shall have option to avail either the above benefits or the following benefits under UPS payable immediately—

- (i) *lump sum payment, as would have been payable to such subscriber if such subscriber would have superannuated from service on the date of demise, calculated as per these regulations*
- (ii) *Final Withdrawal upto 60% of Individual UPS Corpus of such subscriber*

(iii) Family Payout at 60% of admissible payout to such subscriber if such subscriber would have superannuated from service on the date of demise, calculated as per these regulations.

(b) In case of discharge of Central Government employee, on the ground of invalidation or disablement, falling under sub-regulation (5), then Individual Corpus shall be paid in lump sum or in any other manner from among the options made available by the Authority from time to time to the subscriber or in case of his demise before receiving such benefits, to the legally wedded spouse at the time of demise or in case the legally wedded spouse does not exist, to the nominee(s) or the legal heir(s) on the basis of the legal heir certificate issued by the competent authorities of the State concerned or the succession certificate issued by a court of competent jurisdiction, as the case maybe.

(6) In cases where the option exercised by the deceased Subscriber or the default option for the benefit under the CCS (Pension) Rules, 2021 or the CCS (Extraordinary Pension) Rules, 2023 become infructuous on account of non-availability of an eligible member of the family for grant of family pension under the CCS (Pension Rules), 2021 or the CCS (Extraordinary Pension) Rules, 2023 such option would be deemed to have become invalid and the amount lying in the individual corpus shall be paid in lump sum to the legally wedded spouse at the time of demise or in case the legally wedded spouse does not exist, to the nominee(s) or the legal heir(s) on the basis of the legal heir certificate issued by the competent authorities of the State concerned or the succession certificate issued by a court of competent jurisdiction, as the case maybe.

(7) If on death of a Central Government employee during service or his discharge from service on account of invalidation or disablement, benefits are payable under the CCS (Pension Rules), 2021 or the CCS (Extraordinary Pension) Rules, 2023, as per UPS Rules, the Government contribution and returns thereon in the individual corpus shall be transferred to the Government account. The remaining amount in the individual corpus shall be paid in lump sum to the subscriber or the nominee(s) or the legal heir(s) on the basis of the legal heir certificate issued by the competent authorities of the State concerned or the succession certificate issued by a court of competent jurisdiction, as the case maybe.

13B Nomination. – For the purposes of these regulations, the nominations shall be in accordance with regulation 32 of the PFRDA (Exits and Withdrawals under the National Pension System), 2015 and amendments thereof.

XX. Sub-regulation (1) of regulation 14 under chapter VI shall be substituted as follows –

(1) A UPS Subscribers shall be entitled to lumpsum payment equivalent to one-tenth of last drawn basic pay(including non-practising allowance, if applicable) and dearness allowance thereon, in accordance with these regulations, for each completed six months of qualifying service as certified by Head of Office.

XXI. Sub-regulation (3) of regulation 14 under chapter VI shall be substituted as follows –

(3) This Lumpsum Payment shall be in addition to the assured payout payable to the UPS subscriber and shall not affect the quantum of assured payout and shall be payable upon superannuation or voluntary retirement or retirement under Fundamental Rules 56 (or under the special voluntary retirement scheme or upon resignation or upon absorption in accordance with UPS Rules, as may be applicable.

XXII. Clause (i) of sub-regulation (1) of regulation 15 under chapter VI shall be substituted as follows –

(i) Assured payout: Assured payout shall be payable at fifty-percent. of the average of the last twelve months Basic Pay (as certified by Head of Office) immediately prior to the date of superannuation or voluntary retirement or retirement under Fundamental Rules 56 or under the special voluntary retirement scheme or upon resignation or upon absorption in accordance with UPS Rules, as may be applicable, subject to completion of minimum twenty-five years of qualifying services by a UPS subscriber, computed as per regulation 13. The formula for calculating assured payout is as under:

Assured Payout (A) = $(\frac{1}{2} \text{ of } P) \times (Q/300)$

Where:

P = average of Basic Pay for last twelve months, as certified by the Head of Office, from the date of superannuation or voluntary retirement or retirement under Fundamental Rules 56 or under the special voluntary retirement scheme or upon resignation or upon absorption in accordance with UPS Rules, as may be applicable

Q = months of qualifying service as certified by the Head of Office

(Provided where Q is -

Less than 120, UPS shall not be applicable

More than 300, then Q shall be taken as 300)

XXIII. Para (a) of clause (iv) of sub-regulation (1) of regulation 15 under chapter VI shall be substituted as follows –
(a) Individual corpus is less than the benchmark corpus as on the date of superannuation or voluntary retirement or retirement under Fundamental Rules 56 or under the special voluntary retirement scheme or upon resignation or upon absorption in accordance with UPS Rules, as may be applicable;

XXIV. Sub-regulation (2) of regulation 15 under chapter VI shall be substituted as follows –

(2) Final Withdrawal Percentage: (i) UPS Subscriber or the legally wedded spouse, as the case may be, shall also have an option to withdraw an amount not exceeding sixty percent. of the individual corpus or benchmark corpus, whichever is lower, available in the PRAN tagged to UPS as on the date of superannuation or voluntary retirement or retirement under Fundamental Rules 56 or under the special voluntary retirement scheme or upon resignation or upon absorption in accordance with UPS Rules, as may be applicable, subject to proportionate reduction in the assured payout payable to such UPS Subscriber.

Provided that in case the individual corpus is more than the benchmark corpus as on the date of superannuation or voluntary retirement or retirement under Fundamental Rules 56 or under the special voluntary retirement scheme or upon resignation or upon absorption in accordance with UPS Rules, as may be applicable, the final withdrawal amount shall be calculated on the benchmark Corpus and the excess amount in the individual corpus shall be credited to the designated bank account of the UPS Subscriber.

(ii) Such final withdrawal shall be admissible on the date of superannuation or voluntary retirement or retirement under Fundamental Rules 56 or under the special voluntary retirement scheme or upon resignation or upon absorption in accordance with UPS Rules as may be applicable.

XXV. Regulation 16 under chapter VI shall be substituted as follows –

16. Family Payout – (1) Upon demise of a UPS Subscriber who was receiving or was eligible to receive admissible payout on the deemed date of superannuation, as the case may be, the legally wedded spouse of such deceased subscriber shall receive for life, family payout of sixty percent of the amount of the admissible payout drawn by or payable to the subscriber, from the date of demise of such subscriber.

(2) In case of a deceased Central Government employee under NPS who has superannuated or retired on or before 31st March 2025, and was eligible to receive benefits under UPS, the legally wedded spouse, upon submission of claim and authorisation thereof, shall receive the difference of sixty percent. of the admissible payout payable to such UPS Subscriber and sixty percent. of representative annuity amount, as family payout after the date of demise, besides following benefits that shall become vested in the deceased employee, on the date of superannuation or retirement under Fundamental Rules 56 or under the special voluntary retirement scheme or upon resignation or upon absorption in accordance with UPS Rules, as may be applicable, until the date of demise and be payable to the legally wedded spouse:

(i) lump sum payment payable to such deceased employee;

(ii) monthly top-up amount payable to such deceased employee after the date of superannuation or retirement, until the date of demise;

(iii) applicable dearness relief; and

(iv) simple interest as per applicable Public Provident Fund rates on arrears with respect to above benefits for the past period, which interest shall become due from the following month after superannuation or retirement up to the month preceding the submission of claim Forms.

Provided that no interest shall be payable where the UPS option form is submitted beyond the stipulated time period, for the period of such delay.

XXVI. Sub-regulation (5) of regulation 18 under chapter VII shall be substituted as follows –

(5) A subscriber who has made a partial withdrawal shall have an option to replenish the value of shortfall, if any, as per first proviso to clause (iv) of regulation 15.

XXVII. Sub-regulation (3) of regulation 19 under chapter VIII shall be substituted as follows –

(3) The UPS Subscriber, at superannuation or voluntary retirement or retirement under Fundamental Rules 56 or under the special voluntary retirement scheme or upon resignation or upon absorption in accordance with UPS Rules , as may be applicable, shall authorise the transfer of the value of units in the individual corpus to the pool corpus, which shall not exceed the value of the benchmark corpus. In case the value of the individual corpus authorised for transfer is less than the value of benchmark corpus, assured payout shall be proportionately reduced, unless the shortfall is replenished.

XXVIII. Sub-regulation (5) of regulation 22 under chapter VIII shall be substituted as follows –

(5) *In respect of an employee who has superannuated or retired on or before 31st March 2025, and who seeks to avail the benefit of monthly top-up without a proportionate deduction on account of lumpsum withdrawal exercised under NPS and/or shortfall in the individual corpus as compared to the benchmark corpus, if there is any, such Subscriber shall have the option to replenish the shortfall(s) prior to submission of the claim form, in the following manner:*

(a) *In case of shortfall arising due to lumpsum withdrawal made under NPS, the amount to be replenished shall be equivalent to the percentage of lumpsum withdrawal, computed on individual corpus or benchmark corpus, whichever is lower, and units valued as per their NAV as on the date of exercising the option.*

(b) *In case of the shortfall in the individual corpus as compared to the benchmark corpus, the amount to be replenished shall be equivalent to the amount of such shortfall, and units valued as per their NAV as on the date of exercising the option.*

Provided that subscribers who exercised 100% lump sum withdrawal of the corpus under NPS shall not be eligible to avail this replenishment option in isolation.

(c) *The subscriber may choose to replenish either or both of the shortfalls referred to in clauses (a) and (b).*

XXIX. Sub-regulation (3) of regulation 23 under chapter VIII shall be substituted as follows –

(3) *The Head of Office shall keep updated the service records of such employees covered under sub-regulation (1).*

XXX. Following clause (xv a) shall be inserted after clause (xv) under sub-regulation (3) of regulation 26 under chapter VIII –

(xv a) *upon receipt of duly approved switch application from PAO, auto authorise release of differential 4% contribution along with returns computed on the default investment pattern under UPS, for the period during which the employee was under Unified Pension Scheme, from the Pool Corpus to the NPS Tier I Account of such subscriber, in accordance with these regulations;*

XXXI. Under Schedule I after the sentence ***Summary of Forms contained in Schedule I following shall be inserted –***
The data, content and other details provided in these forms are indicative in nature and maybe suitably modified by PFRDA for operational purposes including the process or procedure. Also, if required, PFRDA may prescribe any additional forms.

XXXII. Form A1 under Schedule I shall be substituted with the following –

FORM A1

UNIFIED PENSION SCHEME (UPS) – SUBSCRIBER REGISTRATION FORM

Before filling the form, please read the INSTRUCTIONS carefully given at the end of the form

To,

National Pension System Trust

Joint Photograph
Of
Subscriber & spouse

I, Son/Daughter of Mr/Mrs. having joined Central Government service on and having read and fully understood the provisions of the Unified Pension Scheme (UPS) as notified by the Central Government vide notification F. No. FX-1/3/2024-PR, dated 24/01/2025, PFRDA (Operationalisation of Unified Pension Scheme under National Pension System) Regulations, 2025 and Central Civil Services (Implementation of UPS under NPS) Rules, 2025 ,as amended from time to time, and being eligible to opt for Unified Pension Scheme; do hereby exercise the option to be covered under Unified Pension Scheme (UPS). I hereby request that an UPS account be opened in my name as per the particulars given below:

1. PERSONAL DETAILS*

Salutation*	Shri / Smt / Kumari	Date of Birth*		Legally wedded Spouse Gender (if married)	Male / Female / Transgender
Applicant Name*		Place of Birth*		Spouse Name	
Father's Name		Country of Birth*		Spouse Date of Birth	
Mother's Name		PAN*		Income Range (per annum)*	Below 1 Lac / 1–5 Lac / 5–10 Lac / 10–25 Lac / 25 Lac–1 Cr / Above 1 Cr
Orphan Status*	Yes / No	Applicant Gender*	Male / Female / Transgender	Politically Exposed Person / Related to Politically Exposed Person	Yes / No
Name to appear on PRAN Card*: *Either Father's or Mother's name is mandatory	Father's Name / Mother's Name	Marital Status*	Unmarried / Married	Nominee Details*	
Proof of Identity & Address (POI/POA) (submit any one)					
ADDRESS DETAILS*					
Mobile No.*			Email*		
Bank Account Number* (Submit proof: cancelled cheque / passbook / bank statement / certificate)			Account Type*	Savings / Current	
Bank Name*			IFS Code*		
Investment Choice	Default Auto - LC 25 / LC 50 / BLC 50 / LC 75 Active – G100		Pension Fund Choice		

I agree to the terms and conditions of UPS. I certify that all information provided is correct and any changes will be informed to CRA/NPS Trust. I authorize sharing of my personal information for UPS operations.

PMLA Declaration:

I declare that my contributions are from legally assessed income. NPS Trust may verify my profile or share information with authorities. I understand that my PRAN may be closed in case of violations.

Signature / Thumb / ToE Impression*

(*LTI for males, RTI for females; toe impression if no hands)

Date: _____

Place: _____

DECLARATION BY NODAL OFFICER*

EMPLOYMENT DETAILS (At Time of Exercising UPS Option)

Date of Joining*:	Group(Optional)	A / B (Gazetted) / B (Non-Gazetted) / C / D / Other	Department*	Male / Female / Transgender
Date of Commencement of Qualifying Service*	Service*	IAS / IPS / IFS / Other(Non AIS)	Ministry*	
Date of Superannuation*:	Basic Pay*		DDO Registration Number*	
Employee Code/ID*	Pay Scale		PAO Registration Number*	Below 1 Lac / 1–5 Lac / 5–10 Lac / 10–25 Lac / 25 Lac–1 Cr / Above 1 Cr
Post/Designation	Name of Office*	Male / Female / Transgender		

Verified and certified that the details are true and correct.

It is certified that Shri/Smt/Kumari _____ is employed in this office. The details in the form have been verified as per service records. Address and KYC documents have been verified.

Signature & Name of DDO

DDO Name	DDO Registration No.
Date:	Place:

Signature & Name of PAO	
PAO Name	PAO Registration No.
Date:	Place:

ACKNOWLEDGEMENT

Name of Subscriber :	
Date of receipt of application:	

XXXIII. Form A2 under Under Schedule I shall be substituted with the following –

Form A2**[See Regulation 4]**

Exercise of Option by an eligible Central Government employee presently subscribed to National Pension System (NPS) for being covered under Unified Pension Scheme (UPS)

I,.....Son / Daughter of Mr. / Mrs. being a subscriber of NPS as on 01/04/2025 with permanent retirement account number (PRAN)....., having read and fully understood the provisions of Unified Pension Scheme (UPS) as notified by Central Government vide notification F. No. FX-1/3/2024-PR, dated 24/01/2025 and PFRDA (Operationalisation of Unified Pension Scheme under National Pension System) Regulations, 2025 as amended from time to time, and being eligible to opt for Unified Pension Scheme, do hereby exercise the option to be covered under Unified Pension Scheme (UPS).

Further, I Confirm that the Nominee(s) for my existing NPS account shall continue be the Nominee(s) for the purpose of UPS Regulations.

I authorize the CRA, NPS Trust or any other entity connected with UPS to collect and share data / details of my necessary personal information for the purpose of the said scheme regulated under the PFRDA Act, 2013 and the relevant regulations notified thereunder

Date: -----
Place: -----

Signature of Subscriber
Name-----

(To be filled and certified by the DDO based on Service records)

Employment Details (At the time of exercise of UPS option)	
Employee Code/ID	
Date of commencement of qualifying service <i>(Qualifying Service as defined in Regulation 2(k) read with Regulation 13)</i>	
Current month Basic Pay	
Non-Practising Allowance (NPA), if applicable	
Schedule date for next increment	

Signature & Name of DDO	Signature & Name of PAO	
DDO Reg. No.	PAO Reg. No.	
Date:	Place:	Date: Place:

Note/Instruction:

- The duly signed copy of this Form shall be kept by DDO in employee's service record and a copy of the same shall be provided to the employee for his record.
- DDO shall input the Head of Office verified data in the Central Record Keeping System and in case of physical submission of form by the subscriber, the DDO shall upload a copy of this duly signed option form. PAO shall authorise and approve the option exercised by the subscriber in the CRA system through their login.

XXXIV. A new Form A3 shall be inserted after for A2 under Under Schedule I as follows –

Form A3

[See Regulation 3A]

Exercise of one-time one-way switch facility by an eligible Central Government employee presently subscribed to Unified Pension Scheme (UPS) for switching back to National Pension System (NPS)

I,.....Son / Daughter of Mr. / Mrs. being a subscriber of UPS as on _____ with permanent retirement account number (PRAN)....., having read and fully understood the provisions of Unified Pension Scheme (UPS) as notified by Central Government vide notification F. No. FX-1/3/2024-PR, dated 24/01/2025 and PFRDA (Operationalisation of Unified Pension Scheme under National Pension System) Regulations, 2025 and UPS Rules, as amended from time to time, and being eligible to switch back to NPS, do hereby exercise the option of one time one way switch facility under regulation 3A to be covered under National Pension System (NPS). I understand that this option once exercised shall be irrevocable and upon exercising of this option I relinquish all the claims and benefits under UPS and shall be shifted back to NPS .

I authorize the CRA, NPS Trust or any other entity connected with UPS to collect and share data / details of my necessary personal information for the purpose of the said scheme regulated under the PFRDA Act, 2013 and the relevant regulations notified thereunder

Date: -----

Signature of Subscriber

Place: -----

Name-----

(Details as recorded in the CRA system)

I.	Units corresponding to differential 4 % corpus along with returns (from date of joining UPS till date of applying for switch option,)	
II.	Value of such units in Rs.	

(To be filled and certified by the DDO based on Service records)

Employment Details (At the time of exercise of UPS option)	
Employee Code/ID	
Date of exercise of the option	
Date of Superannuation/ Resignation / Voluntary Retirement/Retirement Under FR 56	

Signature & Name of DDO	Signature & Name of PAO	
DDO Reg. No.	PAO Reg. No.	
Date:	Place:	Date: Place:

Note/Instruction:

- The duly signed copy of this Form shall be kept by DDO in employee's service record and a copy of the same shall be provided to the employee for his record.
- DDO shall input the Head of Office verified data in the Central Record Keeping System and in case of physical submission of form by the subscriber, the DDO shall upload a copy of this duly signed option form. PAO shall authorise and approve the option exercised by the subscriber in the CRA system through their login.

XXXV. Form B1 under Under Schedule I shall be substituted with the following –

FORM B1**[See Regulation 19, 20 and 23]****Claim and Payout Form****Unified Pension Scheme (UPS) subscriber who superannuated/retired on or after 01/04/2025**

Before filling the form, please read the INSTRUCTIONS carefully given at the end of the form

Joint Photograph
Of
Subscriber & spouse

PART -A (to be filled by the subscriber)

1. Category (any one):

I	Superannuation (After minimum 10 years of qualifying service)	
II	Voluntary Retirement (After 20 years of qualifying service as per UPS Rules)	
III	Compulsory Retirement under FR 56(j)(not as a penalty)	
IV	Retirement under FR 56 (except FR 56(j)) or Special Voluntary Retirement Scheme as per UPS Rules	
V	Technical Resignation or Absorbtion (After minimum 10 years of qualifying service as per UPS Rules)	
VI	Compulsory Retirement (as a penalty as per UPS Rules)	
VII	Exonerated from Departmental or Judicial Proceedings (as per UPS Rules)	

2. Detail of Subscriber:

Name		Employee Code/ID		PRAN	
Date of birth		Date of joining service			
Gender		Date of cessation of employment (Superannuation/ Retirement/Resignation)		Deemed date of Superannuation	
Date of Exoneration from Departmental/Judicial Proceedings (for category VIII)*					
DDO (<i>office name</i>)		PAN		Ministry/Department (<i>from where retired</i>)	
PAO (<i>office name</i>)					

3. KYC details:

Document (<i>one of the documents</i>)	Document Type	Identification number	Validity (<i>in case of Passport and Driving License</i>)
Aadhaar* /Driving License/ Passport/Voter ID/CKYC ID/ Letter issued by NPR			

4. Current Address:

Flat/House No./Bldg. Name		Street/Locality	
Village & Post Office/Block		City/District	
State		Pin Code	
Country			

5. Contact Details:

Telephone No. (If any)		Mobile No.	
E-mail ID			

6. Details of legally wedded spouse as on date of cessation of employment(for category I to VII):

Name		PAN*	
DOB		Aadhaar No.*	
Gender			
Mobile No.		E-mail Id	

7. Details of Bank account:

Type of Bank A/c	<input type="checkbox"/> Joint with legally wedded Spouse as on date of superannuation <input type="checkbox"/> Single (only in the absence of a legally wedded Spouse as on date of superannuation)	Bank A/c No.	
Bank Name		IFSC	
Note: Please ensure that the Government servant is the Primary Account holder in the Joint Account.			

8. Final withdrawal percentage – (can be availed upto 60% of corpus)

I desire to opt for final withdrawal (applicable where subscriber had not availed UPS benefits)% of individual corpus
I am exercising this option being fully aware that the final withdrawal will proportionately reduce the assured payout.	

Declaration:

I _____ Son/Daughter of Mr./Mrs. _____ a subscriber of Unified Pension Scheme (UPS) with PRAN----- and have fully read and understood the provisions of Unified Pension Scheme (UPS) as notified by GoI vide notification F. No. FX-1/3/2024-PR, dated 24/01/2025, PFRDA (Operationalisation of Unified Pension Scheme under National Pension System) Regulations, 2025, and applicable UPS Rules as amended from time to time. I hereby declare that I am eligible to avail benefits under UPS in terms of the aforesaid notification, Rules and Regulations. I certify that the information given above is true and correct.

I authorize the CRA, NPS Trust or any other entity connected with UPS to collect and share data/ details of my necessary personal information for the purpose of the said scheme regulated under the PFRDA Act, 2013 and the relevant regulations notified thereunder.

Place: _____

Signature: _____

Date: _____

Name: _____

Additional Declaration (for Category VII) :

I _____ Son/Daughter of Mr./Mrs. _____ a subscriber of Unified Pension Scheme (UPS) with PRAN----- hereby declare that I have been exonerated from Departmental/Judicial Proceedings vide OM _____ dated _____ and I am eligible to avail benefits under UPS in terms of the aforesaid notification, Rules and Regulations. To receive the UPS benefits, I agree to pay ____%(minimum 40%) of amount of my benchmark corpus as on date of my superannuation, along with applicable interest, as calculated by HOO. I certify that the information given above is true and correct.

Place: _____

Signature: _____

Date: _____

Name: _____

PART -B (Details as recorded in the CRA system)**1. Details for calculation of UPS benefits payable to subscriber:**

I.	Individual Corpus (IC): Value of corpus as on date of cessation of employment	
II.	Benchmark Corpus (BC) (as on date of cessation of employment)	
III.	Excess/shortfall of Individual Corpus vis-a-vis Benchmark Corpus (IC-BC)	
IV.	Final withdrawal (FW in %)	

PART -C (to be filled by the DDO in the CRA system)**1. Employment Details as per service record:**

i	File no	
ii	Employee Code/ID	
iii	Date of commencement of qualifying service <i>(Qualifying Service as determined by HOO)</i>	
iv	Date of cessation of employment(Superannuation/Retirement/Resignation)	
v	Length of Qualifying service in months (Q)	
vi	Length of qualifying service in completed half years (L) <i>(fraction to be ignored)</i>	
vii	Percentage Reduction in Payout (in case of compulsory retirement as penalty – as determined by competent Authority as per UPS Rules)	
viii	Amount including interest to be paid back by subscriber exonerated from Dept/Judicial Proceedings to claim by UPS benefits as determined by HOO as per UPS Rules(Category VII)	
ix	Date of Start of monthly Admissible Payout (in case of Superannuation / Voluntary Retirement/ Retirement under FR 56(except FR 56(j))/Technical Resignation/Absorbtion/Exonerated from Dept Proceedings: <i>From next day of superannuation,</i> in case of Compulsory Retirement as Penalty/ Retirement under FR 56(j): <i>From next day of Retirement</i>)	

2. Basic Pay details for last 12 months before cessation of employment (for Category 1 to VII):

	Basic Pay	NPA <i>(non-practicing allowance granted to medical officer in lieu of private practice)</i>	Total (Basic pay +NPA)	Basic Pay	NPA <i>(non-practicing allowance granted to medical officer in lieu of private practice)</i>	Total (Basic pay +NPA)
Month 1				Month 7		
Month 2				Month 8		
Month 3				Month 9		
Month 4				Month 10		
Month 5				Month 11		

Month 6			Month 12		
Average of 12 Months of (Basic pay +NPA) = P					

3. Salary details of last month before cessation of employment(for category I-VII):

Month/Year	Basic Pay (includes non-practicing allowance granted to medical officer in lieu of private practice) if any) (BP)	Dearness Allowance (DA)	Total E= (BP+ DA)
Last month emolument (E) for lump-sum payment			

Certified that the details provided by subscriber in **Part-A**, details of employment and salary i.e., qualifying service, last basic pay, average basic pay, superannuation/retirement date, legally wedded spouse details on the date of superannuation, which has been verified by HOO and the entry has been made as per such certification.

Verified and certified that the details are true and correct.

Signature & Name of DDO

DDO Name	DDO Registration No.
Date:	Place:

Form B1

(Part D)

UPS Payout Order (UPO) issued by PAO

(System Generated)

To,

**National Pension System Trust
(address to be added) – system**

Joint Photograph of
Subscriber & spouse

File no:		Date of issue:	
UPS Payout Order (UPO) No:			

1. Subscriber Category (any one):

I	Superannuation (After minimum 10 years of qualifying service)	
II	Voluntary Retirement (After 20 years of qualifying service as per UPS Rules)	
III	Compulsory Retirement under FR 56(j)(not as a penalty)	

IV	Retirement under FR 56 (except FR 56(j)) or Special Voluntary Retirement Scheme as per UPS Rules	
V	Technical Resignation or Absorbtion (After minimum 10 years of qualifying service as per UPS Rules)	
VI	Compulsory Retirement (as a penalty as per UPS Rules)	
VII	Exonerated from Departmental or Judicial Proceedings	

2. Details of subscriber:

Name		Employee Code/ID		PRAN	
Date of birth		Date of joining service			
Gender		Date of cessation of employment (Superannuation/ Retirement/Resignation)		Deemed date of Superannuation	
Date of Exoneration from Departmental/Judicial Proceedings (for category VIII)*					
DDO (<i>office name</i>)		PAN		Ministry/Department (<i>from where retired</i>)	
PAO (<i>office name</i>)					

3. Details of legally wedded spouse on the date of cessation of employment(for category I to VII):

Name		PAN	
DOB		E-mail Id	
Gender		Mobile No.	

4. Details of Bank account:

Bank A/c No.		Bank Name		IFSC	
--------------	--	-----------	--	------	--

5. Details of Employment & Salary:

I.	Length of Qualifying service in number of months	
II.	Average of last 12 Months basic pay	
III.	Last month salary (Basic Pay + DA)	
IV.	Length of qualifying service in completed six months	
V.	Reduction(%) in payout(in case of Compulsory Retirement as penalty)	
VI.	Percentage of benchmark corpus paid back by subscriber exonerated from Dept/Judicial Proceedings to claim by UPS benefits (Category VII)	
VII.	Date of start of monthly admissible Payout	

Sanction of Admissible UPS Benefits payable to Subscriber**6. UPS Benefits payable to Subscriber:**

I.	Lump-sum payment	
II.	Excess, if any, of Individual Corpus <i>vis-a-vis</i> Benchmark Corpus	
III.	Final Withdrawal amount	
IV.	Admissible Payout	
V.	Reduction in payout(in case of Compulsory Retirement as penalty)	
VI.	Revised admissible payout(in case of Compulsory Retirement as penalty)	
VII.	DR amount on admissible payout/revised admissible payout	
VIII.	Arrears of admissible Payout and applicable DR (including interest for subscribers exonerated from dept/judicial proceedings)	

Signature & Name of PAO	
PAO Name	PAO Registration No.
Date:	Place:

Authorising the release of benefits upon receipt of UPS payout Order after due verification

Authorised Signatory NPS Trust	
Date:	Place:

Copy to,
To Subscriber
(address and email and mobile) – over email

Instructions to fill the form**PART – A**

1. All fields are mandatory, unless marked with Asterisks.
2. Please fill the details of the subscriber as per the service records.
3. Please give details of DDO, PAO, Department/Ministry of the office from where you retired.
4. Any one of the 5 KYC documents may be provided. In case of online filling of the form Aadhar Number or CKYC ID may be provided.
5. The current address shall be as per the KYC document provided. In case there is change in the current address, the concerned KYC documents is to be updated first.
6. The mobile number and e-mail id of the claimant shall be verified separately by sending an OTP or a link as may be applicable.
7. The field of date of joining in Central Govt regular service shall be captured from the CRA system, however, in case of any change, it shall be editable by the subscriber and duly verified by DDO.
8. In case, Aadhaar number is being given for legally wedded spouse, only the last four digits of the Aadhaar number may be provided.

List of Documents to be attached with this form

By Claimant:

- i. Photocopy of the first page of Pass Book/Bank Statement or cancelled cheque of the Bank Account or any other bank document showing the name and account details of Account Holder, in which the payout is to be credited
- ii. Copy of PAN Card of claimant.
- iii. KYC documents of claimant
- iv. One joint photograph
- v. Specimen signature of claimant

By DDO:

- vi. Copy of the document containing employment details verified by HOO
- vii. Copy of the signed Form by subscriber (in case the form submitted by subscriber in physical mode)

XXXVI. Form B5 under Schedule I shall be substituted with the following –

FORM B5

[See Regulation 19, 20 and 23]

Claim and Payout Form

**Spouse of the deceased Unified Pension Scheme (UPS) subscriber who superannuated/retired on or after
01/04/2025 or in service death of subscriber and eligible for UPS benefits and subscriber had not availed benefits
under UPS**

Before filling the form, please read the INSTRUCTIONS carefully given at the end of the form

Photograph
of
Spouse

PART -A (to be filled by the spouse)

1. Category

I	Superannuation/ Technical Resignation / Voluntary Retirement/Retirement Under FR 56	
II	In Service Death – Lumpsum payment of IC	
III	In Service Death – UPS Benefits (option available to legally wedded spouse - if subscriber had completed 20 years of qualifying service)	

2. Details of deceased Subscriber:

Name		PAN No	
Gender		Date of Superannuation/ Technical Resignation / Voluntary Retirement/Retirement Under	

		FR 56	
PRAN No.		Date of death (as per death certificate)	
Date of joining service			

3. Details of legally wedded spouse as on date of cessation of employment:

Name		PAN	
DOB		Gender	

4. Details of Nominee(if legally wedded spouse not available – only for category II):

Name		PAN	
DOB		Gender	
Name		PAN	
DOB		Gender	

5. KYC Details:

Document (one of the documents)	Document Type	Identification number	Validity (in case of Passport and Driving License)
Aadhaar * / Driving License / Passport/Voter ID/CKYC ID/ Letter issued by NPR			

6. Current Address:

Flat/House No./Bldg. Name		Street/Locality	
Village & Post Office/Block		City/ District	
State		Pin Code	
Country			

7. Contact Details:

Telephone No. (If any)		Mobile No.	
E-mail ID			

8. Details of Bank a/c of spouse for credit of UPS benefits:

Type of Bank A/c		Bank A/c No.	
Bank Name		IFSC	

9. Final withdrawal percentage – (can be availed upto 60% of corpus for category I and III)

I desire to opt for Final withdrawal (applicable where subscriber had not availed UPS benefits)% of individual corpus
I am exercising this option being fully aware that the final withdrawal will proportionately reduce the assured payout.	

Declaration (in case Lumpsum payment of IC opted for in service death - Category II):

I _____ spouse of late _____ have fully read and understood the provisions of Unified Pension Scheme (UPS) as notified by GoI vide notification F. No. FX-1/3/2024-PR, dated 24/01/2025, PFRDA (Operationalisation of Unified Pension Scheme under National Pension System) Regulations, 2025, and applicable UPS Rules as amended from time to time. I hereby declare that I am claiming the payment of Individual Corpus in lumpsum and shall not be eligible for any other UPS benefits in terms of the aforesaid notification, Rules and Regulations. I certify that the information given above is true and correct.

I authorize the CRA, NPS Trust or any other entity connected with UPS to collect and share data/ details of my necessary personal information for the purpose of the said scheme regulated under the PFRDA Act, 2013 and the relevant regulations notified thereunder.

Place: _____

Signature: _____

Date: _____

Name: _____

Declaration by Nominee(s)**(in case Lumpsum payment of IC opted for in service death - Category II):**

I _____ Son/Daughter of Mr./Mrs. _____ being the nominee of the subscriber of Unified Pension Scheme (UPS) with PRAN----- have fully read and understood the provisions of Unified Pension Scheme (UPS) as notified by GoI vide notification F. No. FX-1/3/2024-PR, dated 24/01/2025, PFRDA (Operationalisation of Unified Pension Scheme under National Pension System) Regulations, 2025, and applicable UPS Rules as amended from time to time. I hereby declare that I am claiming the payment of Individual Corpus in lumpsum and shall not be eligible for any other UPS benefits in terms of the aforesaid notification, Rules and Regulations. I certify that the information given above is true and correct.

I authorize the CRA, NPS Trust or any other entity connected with UPS to collect and share data/ details of my necessary personal information for the purpose of the said scheme regulated under the PFRDA Act, 2013 and the relevant regulations notified thereunder.

Place: _____

Signature: _____

Date: _____

Name: _____

Declaration(Category I and III):

I _____ spouse of late _____ have fully read and understood the provisions of Unified Pension Scheme (UPS) as notified by GoI vide notification F. No. FX-1/3/2024-PR, dated 24/01/2025 and PFRDA (Operationalisation of Unified Pension Scheme under National Pension System) Regulations, 2025 as amended from time to time. I hereby declare that I am eligible to avail benefits under UPS in terms of the aforesaid notification and Regulations. I certify that the information given above is true and correct.

I hereby authorize the CRA, NPS Trust or any other entity connected with UPS to collect and share data/ details of my necessary personal information for the purpose of the said scheme regulated under the PFRDA Act, 2013 and the relevant regulations notified thereunder.

Place: _____**Signature:** _____**Date:** _____**Name:** _____**PART -B (Details as recorded in the CRA system)****1. Details for calculation of UPS benefits payable to deceased subscriber:**

I.	Individual Corpus (IC): Value of corpus as on date of Cessation of employment	
II.	Benchmark Corpus (BC) (on date of superannuation/retirement)	
III.	Excess/shortfall of Individual Corpus vis-a-vis Benchmark Corpus (IC-BC)	
IV.	Final withdrawal (FW in %)	

PART -C (to be filled by the DDO in the CRA system)**1. Employment Details as per service record:**

i.	File no	
ii.	Employee Code/ID	
iii.	Date of commencement of qualifying service <i>(Qualifying Service as defined in Regulation 2(k) read with Regulation 13)</i>	
iv.	Date of cessation of employment(Superannuation/Retirement/Technical Resignation/Voluntary Retirement/Retirement Under FR 56/Death)	
v.	Length of Qualifying service in months (Q)	
vi.	Length of qualifying service in completed half years (L) <i>(fraction to be ignored)</i>	
vii.	Date of Start of monthly Admissible Payout <i>(in case of Superannuation / Voluntary Retirement/ Retirement under FR 56(except FR 56(j))/Technical Resignation/Absorbtion/Exonerated from Dept Proceedings: From next day of superannuation,</i> <i>in case of Compulsory Retirement as Penalty/ Retirement under FR 56(j): From next day of Retirement)</i>	
viii.	Date of Start of family Payout to spouse (immediately upon demise of subscriber)	

2. Basic Pay details for last 12 months before cessation of employment(For Category I and III) :

	Basic Pay	NPA (non-practicing allowance granted to medical officer in lieu of private practice)	Total (Basic pay +NPA)		Basic Pay	NPA (non-practicing allowance granted to medical officer in lieu of private practice)	Total (Basic pay +NPA)
Month 1				Month 7			
Month 2				Month 8			
Month 3				Month 9			
Month 4				Month 10			
Month 5				Month 11			
Month 6				Month 12			
Average of 12 Months of (Basic pay +NPA) = P							

3. Salary details of last month before cessation of employment (For Category I and III) :

Month/Year	Basic Pay (includes non-practicing allowance granted to medical officer in lieu of private practice) if any) (BP)	Dearness Allowance (DA)	Total E= (BP+ DA)
Last month emolument (E) for lump-sum payment			

Certified that the details provided by spouse/nominee of deceased subscriber in **Part-A**, details of employment, legally wedded spouse on the date of superannuation/retirement/resignation, date of death of subscriber/ details of nominee which has been verified by HOO and the entry has been made as per such certification.

Verified and certified that the details are true and correct.

Signature & Name of DDO

DDO Name	DDO Registration No.
Date:	Place:

Form B5 (Part D) UPS Payout Order (UPO) issued by PAO <i>(System Generated)</i>

To,

National Pension System Trust
(address to be added) – system

Photograph
of
Spouse

File no:		Date of issue:	
UPS Payout Order (UPO) No:			

1. Details of deceased subscriber:

Name		PRAN No.		Date of death <i>(as per death certificate)</i>	
------	--	----------	--	--	--

2. Details of legally wedded spouse on the date of superannuation:

Name		PAN	
DOB		Gender	

3. Details of Nominee(if legally wedded spouse not available – only for category II):

Name		PAN	
DOB		Gender	
Name		PAN	
DOB		Gender	

4. Details of Employment & Salary(For Category I and III):

I.	Length of Qualifying service in number of months	
II.	Average of last 12 Months basic pay	
III.	Last month salary (Basic Pay + DA)	
IV.	Length of qualifying service in completed six months	
V.	Date of start of monthly admissible Payout	
VI.	Date of start of family Payout to spouse (immediately on demise of subscriber)	

Sanction of Admissible UPS Benefits payable to Spouse**5. UPS Benefits payable to Spouse:**

Individual Corpus Payment(only for Category II)*	
Lumpsum Payment	
Excess, if any, of Individual Corpus <i>vis-a-vis</i> Benchmark Corpus	
Final Withdrawal (if opted)	
Monthly Family Payout	
DR amount on family payout	
Arrears upto date of commencement of Family Payout (including arrears of monthly payout and DR on admissible payout)	
i) Payable to subscriber till the date of demise of subscriber	
ii) Payable to Spouse after date of demise of subscriber	

Signature & Name of PAO	
PAO Name	PAO Registration No.
Date:	Place:

Authorising the release of benefits upon receipt of UPS payout Order after due verification

Authorised Signatory	
NPS Trust	
Date:	Place:

Copy to,
To Subscriber
 (address and email and mobile) – over email

Instructions to fill the form**PART – A**

1. All fields are mandatory, unless marked with Asterisks.
 2. Please fill the details of the subscriber as per the service records.
 3. Please give details of DDO, PAO, Department/Ministry of the office from where you retired.
 4. Any one of the 5 KYC documents may be provided. In case of online filling of the form Aadhar Number or CKYC ID may be provided.
 5. The current address shall be as per the KYC document provided. In case there is change in the current address, the concerned KYC documents is to be updated first.
 6. The mobile number and e-mail id of the claimant shall be verified separately by sending an OTP or a link as may be applicable.
 7. The field of date of joining in Central Govt regular service shall be captured from the CRA system, however, in case of any change, it shall be editable by the subscriber and duly verified by DDO.
 8. In case, Aadhaar number is being given for legally wedded spouse, only the last four digits of the Aadhaar number may be provided.
- * Upon claiming of Individual corpus as Lumpsum, the subscriber/spouse/nominee shall not be eligible for payment any other UPS benefits

List of Documents to be attached with this form

By Claimant:

- i. Photocopy of the first page of Pass Book/Bank Statement or cancelled cheque of the Bank Account or any other bank document showing the name and account details of Account Holder, in which the payout is to be credited
- ii. Copy of Death certificate of deceased Government Subscriber
- iii. Copy of PAN Card of claimant.
- iv. KYC document of claimant
- v. One photograph
- vi. Specimen signature of claimant

By DDO:

- vii. Copy of the document containing employment details verified by HOO
- viii. Copy of the signed Form by claimant

XXXVII. A new Form C1 shall be inserted after form B6 under Under Schedule I as follows –

FORM C1

Individual Corpus Payout form

For subscribers not eligible to claim Unified Pension Scheme (UPS) benefits

Before filling the form, please read the INSTRUCTIONS carefully given at the end of the form

Joint Photograph
Of
Subscriber & spouse

PART -A (to be filled by the subscriber)

1. Category (any one):

I	Resignation (other than technical resignation)	
II	Technical Resignation/Absorbtion(before 10 years of qualifying service)	
III	Dismissal or Removal from Service	
IV	Pending Departmental or Judicial Proceedings (as per UPS Rules)	
V	Superannuation(before 10 years of qualifying service)	

2. Detail of Subscriber:

Name		Employee Code/ID		PRAN	
Date of birth		Date of joining service			
Gender		Date of cessation of employment		Date of initiation of Departmental/Judicia l Proceedings(for category IV)	

DDO (<i>office name</i>)		PAN		Ministry/Department (from where retired)	
PAO (<i>office name</i>)					

3. Details of Nominee(if subscriber is not alive):

Name		PAN	
DOB		Gender	
Name		PAN	
DOB		Gender	

4. KYC details:

Document (<i>one of the documents</i>)	Document Type	Identification number	Validity (<i>in case of Passport and Driving License</i>)
Aadhaar* /Driving License/ Passport/Voter ID/CKYC ID/ Letter issued by NPR			

5. Current Address:

Flat/House No./Bldg. Name		Street/Locality	
Village & Post Office/Block		City/District	
State		Pin Code	
Country			

6. Contact Details:

Telephone No. (If any)		Mobile No.	
E-mail ID			

7. Details of Bank account:

Type of Bank A/c		Bank A/c No.	
Bank Name		IFSC	

Declaration:

I _____ Son/Daughter of Mr./Mrs. _____ a subscriber of Unified Pension Scheme (UPS) with PRAN----- and have fully read and understood the provisions of Unified Pension Scheme (UPS) as notified by GoI vide notification F. No. FX-1/3/2024-PR, dated 24/01/2025, PFRDA (Operationalisation of Unified Pension Scheme under National Pension System) Regulations, 2025, and applicable UPS Rules as amended from time to time. I hereby declare that I am claiming the payment of Individual Corpus in lumpsum as I am not eligible for the benefits under UPS in terms of the aforesaid notification, Rules and Regulations. I certify that the information given above is true and correct.

I authorize the CRA, NPS Trust or any other entity connected with UPS to collect and share data/ details of my necessary personal information for the purpose of the said scheme regulated under the PFRDA Act, 2013 and the relevant regulations notified thereunder.

Place: _____

Signature: _____

Date: _____

Name: _____

Declaration by Nominee(s)

(In case subscriber was not eligible for UPS benefits but has deceased before receiving individual corpus in lumpsum) :

I _____ Son/Daughter of Mr./Mrs. _____ being the nominee of the subscriber of Unified Pension Scheme (UPS) with PRAN-----, have fully read and understood the provisions of Unified Pension Scheme (UPS) as notified by GoI vide notification F. No. FX-1/3/2024-PR, dated 24/01/2025, PFRDA (Operationalisation of Unified Pension Scheme under National Pension System) Regulations, 2025, and applicable UPS Rules as amended from time to time. I hereby declare that I am claiming the payment of Individual Corpus in lumpsum as the subscriber has deceased and was not eligible for the benefits under UPS in terms of the aforesaid notification, Rules and Regulations. I certify that the information given above is true and correct.

I authorize the CRA, NPS Trust or any other entity connected with UPS to collect and share data/ details of my necessary personal information for the purpose of the said scheme regulated under the PFRDA Act, 2013 and the relevant regulations notified thereunder.

Place: _____

Signature: _____

Date: _____

Name: _____

PART -B (Details as recorded in the CRA system)

1. Details for calculation of UPS benefits payable to subscriber:

I.	Individual Corpus (IC): Value of corpus as on date of cessation of employment	
----	---	--

PART -C (to be filled by the DDO in the CRA system)

1. Employment Details as per service record:

i	File no	
ii	Employee Code/ID	
iii	Date of commencement of qualifying service <i>(Qualifying Service as determined by HOO)</i>	
iv	Date of cessation of employment	

Certified that the details provided by subscriber/nominee in **Part-A and** details of employment, which has been verified by HOO and the entry has been made as per such certification.

Verified and certified that the details are true and correct.

Signature & Name of DDO

DDO Name	DDO Registration No.
Date:	Place:

Form C1

(Part D)

Individual Corpus Payout order issued by PAO

(System Generated)

To,

National Pension System Trust
(address to be added) – system

Joint Photograph of
Subscriber & spouse

File no:		Date of issue:	
UPS Payout Order (UPO) No:			

1. Subscriber Category (*any one*):

I	Resignation (other than technical resignation)	
II	Technical Resignation/Absorbtion(before 10 years of qualifying service)	
III	Dismissal or Removal from Service	

IV	Pending Departmental or Judicial Proceedings (as per UPS Rules)	
V	Superannuation(before 10 years of qualifying service)	

2. Details of subscriber:

Name		Employee Code/ID		PRAN	
Date of birth		Date of joining service			
Gender		Date of cessation of employment		Date of initiation of Departmental/Judicial Proceedings(for category IV)	
DDO (<i>office name</i>)		PAN		Ministry/Department (<i>from where retired</i>)	
PAO (<i>office name</i>)					

3. Details of Bank account:

Bank A/c No.		Bank Name		IFSC	
--------------	--	-----------	--	------	--

4. Details of Employment:

i	File no	
ii	Employee Code/ID	
iii	Date of commencement of qualifying service (<i>Qualifying Service as determined by HOO</i>)	
iv	Date of cessation of employment	

Sanction of Individual Corpus payable to Subscriber**5. Amount payable to Subscriber:**

I.	Individual Corpus Payment	
----	---------------------------	--

Signature & Name of PAO	
PAO Name	PAO Registration No.
Date:	Place:

Authorising the release of benefits upon receipt of Individual Corpus payout order after due verification

Authorised Signatory NPS Trust	
Date:	Place:

Copy to,
To Subscriber
 (address and email and mobile) – over email

Instructions to fill the form**PART – A**

1. All fields are mandatory, unless marked with Asterisks.
2. Please fill the details of the subscriber as per the service records.
3. Please give details of DDO, PAO, Department/Ministry of the office from where you retired.
4. Any one of the 5 KYC documents may be provided. In case of online filling of the form Aadhar Number or CKYC ID may be provided.
5. The current address shall be as per the KYC document provided. In case there is change in the current address, the concerned KYC documents is to be updated first.
6. The mobile number and e-mail id of the claimant shall be verified separately by sending an OTP or a link as may be applicable.
7. The field of date of joining in Central Govt regular service shall be captured from the CRA system, however, in case of any change, it shall be editable by the subscriber and duly verified by DDO.
8. In case, Aadhaar number is being given for legally wedded spouse, only the last four digits of the Aadhaar number may be provided.

List of Documents to be attached with this form**By Claimant:**

- i. Photocopy of the first page of Pass Book/Bank Statement or cancelled cheque of the Bank Account or any other bank document showing the name and account details of Account Holder, in which the payout is to be credited
- ii. Copy of PAN Card of claimant
- iii. KYC documents of claimant
- iv. One joint photograph
- v. Specimen signature of claimant

By DDO:

- vi. Copy of the document containing employment details verified by HOO
- vii. Copy of the signed Form by subscriber (in case the form submitted by subscriber in physical mode)

SIVASUBRAMANIAN RAMANN, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./563/2025-26]

Footnote:

1. The Principal Regulations, THE PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (OPERATIONALISATION OF UNIFIED PENSION SCHEME UNDER NATIONAL PENSION SYSTEM) REGULATIONS, 2025 were published in the Gazette of India on 19th March, 2025 vide notification F No. PFRDA-12/01/0001/2023-LEGAL.